खण्ड १ — अंक ११
३ मार्च, १९५६, (शनिवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

(खण्ड १—अंक १ से २०—१७ फरवरी से १५ मार्च, १९५६ तक)

अंक १—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४१ से ४६, ४८ से ५३, ५५ से ६० — १–२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ — २१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से २८, ३० से ४०, ४७, ६१ से ७२ — २३–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २९ — ४०–४८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४९–५२

अंक २—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७६, ७८, ७९, १०१, ८०, ८२ से ८५, ८७ से ९१ ... — ५३–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७७, ८६, ९२ से १००, १०२ से १०७ — ७४–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३० से ४८ — ७९–८४

दैनिक संक्षेपिका — ८५–८६

अंक ३—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११३, ११५, ११६, ११८, १२१ से १२६ और १२८ से १३१ — ८७–११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०९, ११२, ११४, ११७, ११९, १२०, १२७, १३२ से १३४, १३६ से १४० और १४२ से १४९ — ११०–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५५, ५७ से ६४ — ११७–२२

दैनिक संक्षेपिका — १२३–२४

पृष्ठ

अंक ४--बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १५३, १५५, १५६, १६२ से १६८, १७१ से १७४, १७६, १७७, १७९ से १८२, १५४ और १६० १२५–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५७ से १५९, १६१, १६९, १७० और १७८ ... ... १४७–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ८१ १४९–५५

दैनिक संक्षेपिका १५६–५७

अंक ५--गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १९५, १९७, २०७ से २१० और १८३ ... ... १५८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०१ ... १७९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से ९४ ... १८०–८४

दैनिक संक्षेपिका ... १८५–८६

अंक ६--शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१८ से २३०, २३४ से २३८ ... ... १८७–२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २१७, २३१ से २३३, २३९ से २४५ ... ... २०९–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०८ २१२–१६

दैनिक संक्षेपिका २१७–१८

अंक ७--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८५ से २९६, २९८ से ३०१, ३०४, ३०६, ३१२, ३०८ से ३११ ... ... २१९–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २८४, २९७, ३०२, ३०३, ३१३ से ३१५, ३१७, ३१८, ८१ २४०–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या. १०८ से १६७ २५३–७६

दैनिक संक्षेपिका २७७–८०

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ से ३२२, ३२४ से ३२७, ३२९, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६ से ३३९, ३४३ से ३४७, ३४९ २८१–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ४२८, ३३१, ३३३, ३३५, ३४० से ३४२, ३४८, ३५० से ३६९ ... ३०३–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ सें १८६ ३१२–१७

दैनिक संक्षेपिका ३१८–१९

अंक ९—गुरुवार, १ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७८, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३९२ ३२०–४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३७९, ३८०, ३८३, ३८५, ३९३ से ३९९ ३४२–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०७ ३४६–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५५

अंक १०—शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४०३, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२८ ... ३५६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०४, ४०७, ४१०, ४१३, ४१६, ४१८, ४२०, ४२५, ४२६ ... ३७७–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ से २२९ ३७९–८४

दैनिक संक्षेपिका ३८५–८६

पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, ३ मार्च, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ ३८७–८९

दैनिक संक्षेपिका ३९०

अंक १२—सोमवार, ५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ से ४३७, ४३९, ४४०, ४४२ से ४४४, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५२ से ४५४, ४६१, ४६३ से ४६५, ४६७ ... ३९१–४१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ से ४३२, ४३८, ४४१, ४४५, ४४७, ४५५ से ४५९, ४६२, ४६६ और ४६८ से ४७२ ४१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २३० से २५३ ४१८–२४

दैनिक संक्षेपिका ४२५–२७

अंक १३—मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४, ४७६ से ४८१, ४८३, ४८५, ४८८ से ४९०, ४९२ से ४९४, ४९६, ४९८, ४९९, ५०२, ५०५, ५०७ और ५०८ ४२८–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३, ४७५, ४८२, ४८४, ४८६, ४८७, ४९१, ४९५, ४९७, ५००, ५०१, ५०३, ५०४, ५०६, ५०९ से ५३० ... ... ४५०–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ से २९९ ४६०–७८

दैनिक संक्षेपिका ४७९–८१

अंक १४—बुधवार, ७ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३५, ५३६, ५३९, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४७, ५५२ से ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५२१, ५३७, ५३८... ... ४८२–५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ५३२, ५३४, ५४१, ५४५, ५४८, ५४९, ५५१, ५५५ ५०१–०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० से ३१९ ५०३–१०

दैनिक संक्षेपिका ... ५११–१२

अंक १५—गुरुवार, ८ मार्च, १९५६

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पदत्याग ५१३

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ५१३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७२, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२, ५८५, ५८७, ५७० और ५८४ ५१३–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२, ५६६, ५६९, ५७४, ५७७ से ५८१, ५८३, ५८६ और ५८८ ५२९–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२० से ३२५ ५३३–३४

दैनिक संक्षेपिका ५३५–३६

अंक १६—शुक्रवार, ९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९० से ५९४, ५९९ से ६०१, ६०४ से ६०६, ६०८ से ६१०, ६१३ से ६१६, ५८९, ६०२, ६०३ और ६०७ ५३७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ५९८, ६११, ६१२ और ६१७ ५५८–५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३४६ ५५९–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–६७

अंक १७—सोमवार, १२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८ से ६४५, ५५९, ६२१ ५६८–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२२, ६२५, ६२७, ६३१, ६३३, ६३७ ... ... ५८९–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३६२ ५९१–९७

दैनिक संक्षेपिका ५९८–९९

पृष्ठ

अंक १८—मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४९, ६५०, ६५३, ६५२, ६५५, ६५६, ६५८, ६६०, ६६१, ६६३ से ६६५, ६६७ से ६७४ और ६७६ से ६७९ ६००–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४८, ६५१, ६५४, ६५७, ६५९, ६६२, ६६६, ६७५ और ६८० ६२१–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३७९ ६२३–२८

दैनिक संक्षेपिका ६२९–३०

अंक १९—बुधवार, १४ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८४ से ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ६९८ से ७०३, ७०७ से ७०९, ६८३, ६८८, ६८१, ६९५ ... ... ६३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९४, ६९६, ६९७, ७०४ से ७०६ और ७१० ... ... ६५२–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ४०८ ... ६५५–६४

दैनिक संक्षेपिका ६६५–६६

अंक २०—गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७११ से ७१४, ७१६ से ७२०, ७२२, ७२३, ७२५ से ७२९, ७३१, ७३४, ७३२, ७१५, ७२१ और ७२४ ... ... ६६७–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ ... ६८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४१८ ६८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ... ६९१

M20LSD—190—7-3-58—GIPF.

लोक-सभा

शनिवार, ३ मार्च, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

छाड बेट

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ : श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना के आक्रान्ता, जिन्होंने भारतीय राज्य-क्षेत्र का अतिक्रमण करके रान की खाड़ी में छाड बेट में मोर्चेबन्दी कर ली थी वहाँ से वापस लौट गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कब;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी की गई और भारतीय पत्रों में २७ फरवरी, १९५६ को प्रकाशित हुई इस विज्ञप्ति की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह दावा किया गया है कि कच्छ की खाड़ी में स्थित छाड बेट पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र का एक अंग है और भारत सरकार का कभी भी उस क्षेत्र पर आधिपत्य नहीं रहा था और न उस ने उस पर किसी समय कोई प्रशासनिक नियंत्रण ही रखा था;

(घ) क्या पाकिस्तान सरकार ने कच्छ की खाड़ी में पाकिस्तानी और भारतीय सेनाओं के बीच हुए संघर्ष से उत्पन्न प्रश्न को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये भारत सरकार से एक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** संभवत: यह अधिक अच्छा होगा कि इस प्रश्न के उत्तर में मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य दे दूं :

छाड बेट एक चरागाह-क्षेत्र है जिसकी सतह कच्छ की खाड़ी से कुछ थोड़ी ही ऊँची है। यह चारों ओर से निचले इलाकों से घिरा हुआ है जो वर्षा के दिनों में जलमग्न हो जाते हैं। यह कच्छ और सिन्ध (अब पश्चिमी पाकिस्तान) की सीमा से ४-६ मील दक्षिण में स्थित है।

२. वह पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिक, जो इस क्षेत्र में १७ से १९ फरवरी तक घुस आये थे, अब वापस लौट गये हैं और २५ फरवरी, १९५६ की संध्या से कच्छ राज्य-प्राधिकारियों का नियंत्रण पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

३. पश्चिमी पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी की गयी और भारतीय समाचारपत्रों द्वारा २७ फरवरी को प्रकाशित विज्ञप्ति में जो यह दावा किया गया है कि कच्छ की खांड़ी में छाड बेट पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र का एक अंग है और यह जो सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार का उस क्षेत्र पर कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिपत्य, अथवा किसी समय कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहा था, यह दावा मामले के तथ्यों से बिल्कुल प्रतिकूल दूर है, तथा इस प्रकार हैं :

कच्छ और सिन्ध (अब पश्चिमी पाकिस्तान) के बीच की सीमा, जो कच्छ की खाड़ी के उत्तरी सिरे के सहारे-सहारे जाती है, कच्छ की खाड़ी एक भाग को छोड़ कर, कभी विवादग्रस्त नहीं रही है। इस विवाद पर सिंध और कच्छ के बीच चर्चा की गयी थी और १९१३ में एक समझौता हुआ था। इस क्षेत्र की सीमा का सर्वेक्षण किया गया और १९२३-२४ में भूमि पर स्तम्भों का निर्माण कर के १९१३ के समझौते के अनुसार सीमा का विभाजन कर दिया गया था।

कच्छ की खाड़ी प्रायः जनशून्य ही है, परन्तु क्योंकि छाड बेट में अच्छे चरागाह हैं, इसलिये कच्छ सरकार यहाँ के चरागाहों पर नियंत्रण रखती रही है और चराई के लिये शुल्क लगाती रही है और हाल के वर्षों में इस क्षेत्र को ठेकादारों को, जो चराई-शुल्क वसूल करते हैं, पट्टे पर देती रही है।

पाकिस्तान सरकार ने १९४८ में कच्छ और सिंध की सीमा के विवादस्पद होने का प्रश्न उठाया था और एक संयुक्त सीमा आयोग की नियुक्ति की प्रस्थापना की थी। भारत सरकार ने उसको यह सूचना दी कि १९१३ के समझौते और १९२३-२४ में सीमा निर्धारित किये जाने के बाद से इस सीमा के सम्बन्ध में कोई भी विवाद नहीं उठा था, और इसलिये एक संयुक्त सीमा आयोग के सुझाव को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। लगभग पाँच वर्ष बीत जाने पर, पाकिस्तान सरकार ने पुनः इस प्रश्न को उठाया और यह दावा किया कि कच्छ की खाड़ी के मध्य की रेखा को सिंध और कच्छ के बीच की सीमा माना जाये। पाकिस्तान के दावे का एक पूर्ण और विस्तृत उत्तर मई, १९५५ में पाकिस्तान सरकार के पास भेजा दिया गया था। अभी तक इस टिप्पणी की अथवा बाद में छाड बेट में पाकिस्तानियों द्वारा बलात् प्रवेश के सम्बन्ध में १२ जनवरी को भेजी गयी विरोधी टिप्पणी का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

४. पाकिस्तान सरकार ने दिनांक २४ फरवरी, १९५६ के एक पत्र में हम को यह सुझाव दिया कि दोनों के जिला पदाधिकारी, या डिवीज़नल आयुक्त अथवा पुलिस के महानिरीक्षक परस्पर मिलकर १९४८ के करार द्वारा सीमा विवादों के हल के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस घटना पर विचार करें यह करार वर्त्तमान घटना जैसे मामलों पर जिनमें नीति का प्रश्न भी निहित है और जिनमें पाकिस्तानी द्वारा, जिन्होंने भारतीय भूमि पर बिना उत्तेजना के भारतीय गश्ती सैनिक टुकड़ी पर आक्रमण किया था, जानबूझ कर भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया था, लागू नहीं होता है। परन्तु, क्यों कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिये उत्सुक है, और दोनों सरकारों के समान हित के किन्ही मामलों पर विचार करने के लिये सदैव प्रस्तुत है, इसलिये उसने पाकिस्तान सरकार को यह सूचना दे दी है कि, दोनों देशों के मध्य शान्तिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से, वह सरकारी स्तर पर उन सभी विचारों पर जो पाकिस्तान सरकार द्वारा, भारतीय उच्च-आयोग के माध्यम से ९ मई, १९५५ और १२ जनवरी, १९५६ को उसके पास भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किये जायें चर्चा और विचार करने के लिये तैयार हैं।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका हथियार और युद्ध के आधुनिक शस्त्रास्त्र बड़ी मात्रा में पाकिस्तान को दे रहा है और यह स्पष्ट है कि इसी के कारण पाकिस्तानी प्राधिकारियों को बारंबार सीमा पर गड़बड़ी करने और भारतीय राज्य क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश करने का साहस हुआ है? क्या प्रधानमंत्री इस महीने में होने वाली अपनी वार्त्ता के दौरान में इस तथ्य को अमेरिकी विदेश मंत्री श्री डलेस के ध्यान में लाने की कृपा करेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्य के लिये एक सुझाव है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार को निश्चय ही यह ज्ञान है कि पाकिस्तान को हथियार दिये गये हैं और दिये जा रहे हैं। इनकी मात्रा क्या है, स्वाभाविक ही है, यह हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते। जहाँ तक माननीय सदस्य के सुझाव का संबंध है, मैं समझता हूँ कि उसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस दौरान में पाकिस्तान की फौजों ने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था और जिस दौरान में ठेकेदारों से ग्रेजिंग (चराई) की फीस (शुल्क) वसूल नहीं की गई, उस के लिये क्या भारत सरकार-पाकिस्तान सरकार से इस बात का क्लेम (दावा) करना चाहती है कि वह ग्रेजिंग फीस वगैरह के ड्यूज (बकाया) हम को चुका दे?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह सवाल ठीक से मेरी समझ में नहीं आया। उन का कब्जा तो चन्द घंटे रहा, या शायद एक दो दिन रहा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कुछ दिन से ठेकेदारों को पाकिस्तान के लोग ग्रेजिंग फीस नहीं दे रहे थे और उनके जानवरों की ग्रेजिंग होती रही थी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप का शायद मतलब है कि ठेकेदारों ने जिन लोगों को ग्रेजिंग कराने के लिये इजाजत दी थी उन से पैसा नहीं मिला। इस को ठेकेदार समझें, हम क्यों परेशान हों?

†**डा० राम सुभग सिंह** : छाड बेट पर अपना दावा करने के लिये पाकिस्तान की सरकार द्वारा किये गये सुनिश्चित प्रयास को ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने उस छाड बेट क्षेत्र में अपनी कोई सुदृढ़ टुकड़ी क्यों नियुक्त नहीं की जिससे कि उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश करने वालों को रोका जा सकता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: भारत-पाकिस्तान की सीमा मुझे ठीक लम्बाई तो याद नहीं है,—मेरा ख्याल है, लगभग १८०० या २००० मील तक फैली है। हम उस सीमा में प्रत्येक कुछ गज़ों पर चौकियाँ स्थापित नहीं कर सकते हैं। हम उस का गश्त कराते हैं और हम काफी अच्छी तरह रक्षित हैं, परन्तु कुछ व्यक्तियों द्वारा, सरकार की बात ही छोड़िये, यह कल्पना की जा सकती है कि कुछ डाकू सीमा के उस ओर से इस ओर अथवा इस ओर से उस ओर जा सकते हैं।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या यह सीमा चिह्न अक्षांश और देशान्तर रेखाओं के अनुसार अथवा दोनों प्रदेशों में सर्वेक्षण के चिह्नों के अनुसार लगाये गये हैं, और यदि हाँ, तो क्या वह ज्यों के त्यों मौजूद हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे ज्ञात नहीं है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : इस प्रकार के प्रश्नों पर पाकिस्तान सरकार से साधारण कूटनीतिक संम्पर्क स्थापित करने के अतिरिक्त क्या रैडक्लिफ पंचाट अथवा किन्ही अन्य पंचाटों में इस प्रकार के विवादों का निबटारा करने के लिये किसी अन्य व्यवस्था का उपबन्ध किया गया है और यदि नहीं, क्या सरकार इन मामलों का शीघ्र निबटारा करने के लिये कोई व्यवस्था निर्धारित करने की प्रस्थापना करती है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जहाँ तक इस मामले विशेष का सम्बन्ध है, हमारी राय में यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर विचार किया जाये और निबटारा किया जाये। पाकिस्तान ने जिस साधारण व्यवस्था का उल्लेख किया है, वह छोटी मोटी सीमा-घटनाओं के लिये है जिनका निबटारा स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार की अनेक घटनाएँ होतीं हैं—समाज-विरोधी तत्व इस ओर से उस ओर और उस ओर से इस ओर आते जाते रहते हैं—और यह ऐसी घटनाएं हैं कि जिनका निबटारा दोनों ओर की पुलिस अथवा दण्डाधीशों द्वारा किया जाना चाहिये। परन्तु स्पष्ट ही है कि पुलिस और दण्डाधिकारी इस प्रकार के अत्यधिक महत्त्व के मामलों का, जिनमें थोड़े राज्य क्षेत्र का दावा किया गया हो, निबटारा नहीं कर सकते हैं। इसका निबटारा तो दोनों सरकारों द्वारा, सीधे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जा सकता है। माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने कहा था कि यह प्रश्न पहली बार १९४८ में उठाया गया था और इसे ठुकरा दिया गया था। फिर, लगभग आठ या नौ मास पहले उसके पास पत्रादि भेजे गये थे। हमने उस समय जो विचार प्रगट किये थे, उन के सम्बन्ध में अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

		पृष्ठ
प्रश्न का मौखिक उत्तर		३८७–८९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	**विषय**	
३	छाड बेट	३८७–८९

———

M11LSD–190–24–4–57–GIPF

खण्ड १ — अंक १५
३ मार्च, १९५६ (शनिवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में)

दो शिलिंग (विदेश मे)

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

	पृष्ठ
संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६	
राष्ट्रपति का अभिभाषण	१–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश	६
श्री नटेशन का निधन	६
विशेषाधिकार प्रश्न ...	६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	७
स्थान प्रस्ताव—	
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	१०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक	११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक	११
दैनिक संक्षेपिका ...	१२–१५
संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६	
श्री मेधनाद साहा का निधन	१७
दैनिक संक्षपिका ...	१८
संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर राज्य में गोली चलाना –	१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	२१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक	२१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक	२१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक	२२
जीवन बीमा निगम विधेयक ...	२२
लोक-सभा का कार्य	२३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न ...	२३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ...	२४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प	४७–६४
दैनिक संक्षेपिका	६५–६६

संख्या ४--शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	६८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७–७०
खंड १--२९	७०–९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७–१०४
खंड १--२ और अनुसूची ...	१०४–०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५–०६
खंड १--२	१०६–०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७–१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११०–१३
खंड १--९ और अनुसूची १--३ ...	११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४–१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११५–१९
खंड १--२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६–१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६
संख्या ५--सोमवार, २० फरवरी, १९५६	
आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७–२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ...	१३०–७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०–८३
खंडों पर विचार	१८३–८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

पृष्ठ

संख्या ६---मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक--रायें १९०
राज्य-सभा से संदेश १९०
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६ १९१
प्राक्कलन समिति
उन्नीसवां प्रतिवेदन १९१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक--
खण्ड १९१–९३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १९३–९६
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव १९६–२३५
दैनिक संक्षेपिका ... २३६–३७

संख्या ७---बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव--
कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश २३९–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४१–४२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चालीसवां प्रतिवेदन ... २४२
समिति के लिये निर्वाचन--
दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ... २४३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव २४३–९१
दैनिक संक्षेपिका ... २९२–९३

संख्या ८---गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट ... २९५
रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ... २९५–३१३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव ३१३–५६
दैनिक संक्षेपिका ... ३५७

संख्या ९---शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५९
राज्य-सभा से सन्देश ३५९
भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ... ३५९
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं ३५९–६०
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६०–७७
खण्ड २ और १ ... ३७७
पारित करने का प्रस्ताव ३७७–७८
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३७८–८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चवालीसवां प्रतिवेदन ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)--
विचार करने का प्रस्ताव ३८६-४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४०१-०६
दैनिक संक्षेपिका ४०७-०८

संख्या १०--सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९-१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९-२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति--
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१-२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४२२-२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४-६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४-६५

संख्या १२--बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७
विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४६८-८८
खण्ड २, ३ और १ ४८९-९२
पारित करने का प्रस्ताव ४९२
सभा का कार्य ४९२
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४९२-५१०
१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०-३२
वित्त विधेयक ५३२
दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३--गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५
प्राक्कलन समिति--
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५
सभा का कार्य--
बैठक का समय ५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६
विनियोग विधेयक ५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५७६-९१
दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४--शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३-९४
राज्य-सभा से सन्देश ५९४
विनियोग विधेयक ... ५९४
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५९५-६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२
सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं
की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३-३५
मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५
दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५--शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७-३८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ... ६३९

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६३९–६८

खण्ड २ से १६ और १ ६६८–७७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६७७–७८

दैनिक संक्षेपिका ६७९

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, ३ मार्च, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

देखिये भाग १

११.११ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का भेद खुलना

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की पूर्व-सूचनायें मिली हैं, एक श्री ए० के० गोपालन से और दूसरी डा० लंका सुन्दरम् से। अब मैं पहला स्थगन प्रस्ताव पढ़ता हूँ :—

"संसद् में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व बम्बई में आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का कथित भेद खुलना समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि बम्बई में आय व्ययक प्रस्थापनाओं से अक्षरशः मिलती जुलती प्रतियां बेची गई हैं, यह भी पता चला है कि बम्बई सरकार को इस बात का पता चल गया था।"

दूसरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"अविलम्ब सार्वजनिक महत्व के एक विशेष मामले अर्थात् बम्बई और भारत के अन्य स्थानों में वित्त विधेयक प्रस्थापनाओं का भेद खुलने के बारे में लगाये गये आरोप पर चर्चा करना।"

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : यह कोई नई बात नहीं है। गत वर्ष ५ मार्च को मैंने यही बात कही थी और सम्बन्धित मंत्री ने अपनी ग़लती पर खेद प्रकट किया था और यह आश्वासन दिया था कि फिर ऐसा कभी नहीं होगा। माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद आपको यह निश्चय करना होगा कि आगे क्या कार्यवाही की जाये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी बात का और विशेषकर आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का समय से पूर्व

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ज्ञात हो जाना एक गम्भीर विषय है और हमें जब से इस बात का पता चला है हम, विशेषकर वित्त मंत्री, बहुत ही चिन्तित हैं। सब से पहले हमें चाहिये कि हम जहां तक सम्भव हो इसकी जांच करें और लोक सभा के सामने अपना प्रतिवेदन रखें, उसके बाद कोई कार्यवाही करना लोक-सभा का काम होगा। इस वक्तव्य को देते समय मैं गृह-कार्य मंत्री की ओर से यह भी बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मामले की पूर्णरूप से जांच आरम्भ कर दी है।

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : माननीय प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा वह ठीक है परन्तु यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है क्योंकि चक्रलिखित प्रतियां बांटी गई थीं। यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। अतः उन्हें अवश्य इस बारे में कुछ जानकारी होगी। यदि यह समाचार ग़लत हो तो इस पर भी कार्यवाही की जानी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। यद्यपि इस समय इस घटना से अधिक अन्तर नहीं पड़ सकता था, क्योंकि प्रस्ताव ही इस प्रकार के थे कि जिन से किसी व्यक्ति को अधिक अन्तर लाभ नहीं हो सकता था परन्तु फिर भी समय से पूर्व उनका प्रकाशित हो जाना कोई साधारण बात नहीं है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : कल श्री गाडगील ने **बम्बई समाचार** का उल्लेख करते हुए बताया था कि कपड़े का तमाम स्टॉक छुपा लिया गया था और उस पर कर नहीं दिया गया। यह कोई साधारण बात नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं पर मेरा अभिप्राय यह है कि प्रस्थापनायें इस प्रकार की थीं कि कोई व्यक्ति सरलतापूर्वक अधिक लाभ नहीं उठा सकता था। सम्भव है कि मेरा कहना ग़लत हो। सामने बैठे माननीय सदस्य ने चक्रलिखित प्रतियों के बार में कुछ कहा। मैं पूरी जानकारी के साथ तो नहीं कह रहा हूँ परन्तु फिर भी इस बात का कोई विशेष महत्व हीं है कि प्रतियां चक्रलिखित (साइक्लोस्टाइल्ड) थी। उस व्यक्ति ने जिसे यह जानकारी मिली किसी लाभ को सामने रखते हुए उसकी चक्रलिखित प्रतियां तैयार कीं और शायद उन्हें बेचा भी। महत्व तो इस बात का है कि प्रस्तापनाओं के सम्बन्ध में समय से पूर्व पता चल गया। जहां तक हम जानते हैं किसी मंत्रालय के द्वारा लोगों को उस समय जानकारी मिल गई थी जबकि बिना किसी फाईल पर लिखा पढ़ी किये मामले पर विचार ही किया जा रहा था। जिन बातों का पता चला उनके बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया था। जब कोई व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वह उसे नक़ल कर लेता है और अपने लाभ की ख़ातिर उसकी प्रतियां बनाकर उन लोगों को बेच देता है जो उनमें रुचि रखते हों। मैं चाहता हूँ कि गृह-कार्य मंत्री जांच के पश्चात् पूरा विवरण दें।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मैं तो यह आश्वासन चाहता हूँ कि इस मामले में न केवल जल्दी की जाये और प्रतिवेदन लोक सभा के सामने रखा जाये बल्कि यदि प्रत्यक्ष रूप से आय व्ययक के ज्ञात हो जाना सिद्ध हो जाये तो उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि इस मामले की जांच की जा रही और की जायेगी और गृह-कार्य मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री लोक सभा के समक्ष प्रति-वेदन प्रस्तुत करेंगे। आगे कार्यवाही करने के बारे में अध्यक्ष महोदय और लोक सभा निर्णय करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य और इस बात को सामने रखते हुए कि गृह-कार्य मंत्री तथा सरकार इस विषय में जांच कर रही हैं मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने का विचार नहीं करता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (भाग क राज्य) नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (भाग क राज्य) नियम, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-७४/५६]**

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं आपकी अनुमति से एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि वित्त विधेयक, १९५६ के, जिसे मैं ने २० फरवरी को लोक-सभा में पुरःस्थापित किया था, पृष्ठ १५, खंड ३० की सातवीं पंक्ति में छापे की कुछ गलतियां रह गई हैं। खंड ३० का उद्देश्य, जैसा कि विधेयक के पृष्ठ ३५ के नीचे इस खंड पर दी गई टिप्पणी में बताया गया है, उस अधिकार को, जो २९ फरवरी, १९५६ को लागू था, एक वर्ष तक अर्थात् ३१ मार्च, १९५७ तक जारी रखना है। खंड ३० की सातवीं और आठवीं पंक्ति इस प्रकार मुद्रित हुई है :

"(ख) मद संख्या २२ (४) में दी गई वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसी राशि के ५५ प्रतिशत के बराबर राशि"

परन्तु वे इस प्रकार मुद्रित होनी चाहिये थीं :

"(क) मद संख्या २२ (४) में दी गई वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसी राशि के १५५ प्रतिशत के बराबर राशि"

मैंने यह विचार किया है कि इस ग़लती को किस प्रकार दूर किया जाये और मैंने यथा समय एक नियमित संशोधन प्रस्तुत करने का निश्चय किया है जिसके अनुसार मद संख्या २२ (४) के सम्बन्ध में १५५ प्रतिशत अधिकार इसी प्रकार जारी रहेगा जैसे कि विधेयक में कोई ग़लती न हुई हो। मैं यह भी बता दूँ कि अस्थाई कर संग्रह अधिनियम, १९२१ कमी करने पर लागू नहीं होता है और कमी तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि लोक सभा विधेयक को पारित नहीं कर देती है। कमी केवल अधिसूचना द्वारा की जा सकती है। ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है अतः जो संशोधन मैंने बताये हैं उनको प्रस्तुत करने के लिये काफी समय है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : कमी करने के सम्बन्ध में क्या होगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : कमी करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अधिनियम यहां लागू नहीं होता है।

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक—समाप्त

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लोक-सभा अब जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक चर्चा पुनरारम्भ करेगी। इसे विधेयक के लिये निश्चित किये गये समय के अनुसार चर्चा ५ बजे सायंकाल को समाप्त हो जायेगी और आधा घंटा शेष बचेगा। क्या माननीय वित्त मंत्री किसी दूसरे विधेयक को लेने का विचार करते हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : दूसरे विधेयक को आरम्भ करना मेरे विचार से ठीक नहीं होगा। यह कार्यसूची में नहीं है अतः उस पर चर्चा करना सम्भव नहीं होगा। पहले भी इस बारे में विचार किया जा चुका है और मेरा विचार है कि ऐसा करना वांछनीय नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री को कितना समय चाहिये ?

†**श्री सी० डी० देशमुख :** लगभग ४० मिनट ।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** (विशाखपटनम्) : शेष आधे घंटे का समय भी इसी विधेयक को दिया जाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री वेंकटरामन अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री वेंकटरामन** (तंजोर) : मैं कल कह रहा था कि बीमा के नियन्त्रण और विनियमन से कोई लाभ नहीं हुआ है । वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि किस प्रकार कल्पित नामों से अंशों को लेकर अंशों पर नियन्त्रण किया गया और अधिकतम वेतन सीमा का किस प्रकार से उल्लंघन किया गया है । बीमा अधिनियम के दूसरे उपबन्धों का भी अपवंचन किया गया है ।

बीमा अधिनियम की धारा २७ की उप-धारा ४ (ख) के अन्तर्गत बीमा कम्पनी के विधाता किसी समवाय के अंशों में उसकी प्रार्थित पूंजी के १० प्रतिशत से अधिक नहीं लगा सकता है परन्तु प्रत्येक वर्ष इस उपधारा का उल्लंघन किया जाता रहा है । यह सब बातें कहने में मुझे बड़ा दुःख होता है क्योंकि कल श्री तुलसीदास किलाचन्द ने कहा था कि वित्त मंत्री ने बीमा समवायों की निधि के दुरुपयोग के केवल एक या दो उदाहरण ही दिये ।

समवाय प्रत्येक विनियम का उल्लंघन करते आये हैं । मैं यह बात भी बताना चाहता हूँ कि समवायों की निधि को व्यापार में इस ढंग से नहीं लगाया गया है जिससे कि बीमा धारियों को लाभ पहुँचे बल्कि समवाय के विधाता ने उन्हीं सार्थों में उसे पूँजी के रूप में लगाया है जिनके कि वे स्वयं मालिक थे या हिस्सेदार थे । केवल ओरियंटल इंश्योरैंस कम्पनी ने ऐसा नहीं किया है । कहने का अभिप्राय यह है कि बीमा समवायों के विधाता अपने स्वार्थ को सामने रखकर ही पूंजी लगाते रहे हैं ।

धारा ४०–ख जीवन बीमा समवायों के प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय को सीमित करती है, परन्तु देखा गया है कि १९५१ में ६१, १९५२ में ६२, १९५३ में ५८ समवायों ने इस धारा का उल्लंघन किया । इन तथ्यों से ऐसा जान पड़ता है जैसे कि नियम भंग करना बीमा समवायों का स्वभाव ही बन गया हो ।

कल श्री तुलसीदास किलाचन्द ने विवाद के मामलों की संख्या १०८ बताई थी और यह भी कहा था कि उनमें से केवल ४० का निर्णय बीमाधारियों के पक्ष में हुआ । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ठीक प्रकार अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ीं हैं । भारतीय बीमा पुस्तक के पृष्ठ ६५ पर आंकड़े दिये गये हैं । २,००० रुपये से कम मूल्य के बीमा पत्रों के निबटारे के लिये न्यायालय में जाने की बजाये बीमा नियन्त्रक को भी आवेदन पत्र भेजा जा सकता है । १९५५ में इस प्रकार के १०८ मामले बीमा नियन्त्रक के सामने लाये गये और इस प्रतिवेदन के जारी होने के समय अभी ७५ मामलों का निबटारा किया जाना बाकी था । १९५४ में कुल ९८ विवादों में से ६९ वापस ले लिये गये अर्थात् उनका निबटारा कर दिया गया । वास्तव में लोक सभा को विवादों की संख्या ही नहीं बल्कि दावों का निबटारा करने की प्रणाली की भी जांच करनी चाहिये । दावों का निबटारा करने के बारे में प्रतिवेदन के पैरा ७ में उल्लिखित है :

"कि पिछले प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के पश्चात नियन्त्रक न धारा ४७क के अन्तर्गत १८ विवादों का निर्णय किया गया और सभी निर्णय दावेदारों के पक्ष में हुए । इनमें से १६ विवादों में बीमाकर्ताओं ने बिना किसी कारण भुगतान को रोक रखा था और एक मामले में यह आरोप

†मूल अंग्रेजी में ।

लगाया गया था कि धोखा देने की कोशिश की गई थी। शष सभी मामलों में संविदा की शर्तों का ग़लत निर्वचन किया गया था। इस प्रकार व्यर्थ ही दावों के निबटारे में विलम्ब किया जाता था।"

जब बीमा एकीकरण विधेयक पर लोक सभा में विचार किया जा रहा था तो मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि सरकार को बीमा समवायों में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। बीमा अधिनियम की धारा ४८ ग द्वारा सरकार को यह शक्ति प्राप्त हुई परन्तु इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि जब किसी सफलतापूर्वक चल रहे समवाय में निदेशक नियुक्त करने का प्रयत्न किया गया तो उसे सरकार का हस्तक्षेप कह कर अनुचित बताया गया और यदि किसी ऐसे समवाय में निदेशक नियुक्त किया गया जो ठीक प्रकार से नहीं चल रहा था तो यह बहाना बनाया गया कि इस से उनकी साख खतम हो जायेगी और उनका सर्वनाश हो जायेगा। इस प्रकार बीमा समवायों पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सका था।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि यह कहना कि नियम पर्याप्त नहीं हैं और विधि की नियामक प्रक्रिया से अधिक लाभ नहीं होता है माननीय वित्त मंत्री का स्वभाव ही बन गया है। जब लोक सभा में बीमा संशोधन अधिनियम, १९५० पर चर्चा हो रही थी तो श्री एम० एल० गौतम और अन्य सदस्यों ने भी यही कहा था और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का भी उस समय यही विचार था। कहने का अभिप्राय यह है कि कांग्रेस दल ने बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का निश्चय एक दिन में ही नहीं किया है बल्कि काफ़ी समय से इस पर विचार किया जा रहा था।

श्री तुलसी दास ने कहा कि वित्त मंत्री ने बीमा राष्ट्रीयकरण विधेयक इस प्रकार पुरःस्थापित किया है जैसे कि वह बीमा विधाताओं को दण्ड दे रहे हों। पर यह बात ठीक नहीं है। वित्त मंत्री के भाषण से यह बात स्पष्ट है कि सरकार ने यह कार्यवाही इसलिये की है क्योंकि बीमा समवाय ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे थे और अब बिना कोई लाभ उठाते हुए कार्यकुशलता को बढ़ा कर बीमा का प्रचार किया जायेगा और बीमाधारियों के लाभ को प्रमुख माना जायेगा। इसका सार्वजनिक कल्याण तथा उपयोगिता और समाज सेवा के उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण किया गया है।

श्री तुलसीदास ने उस विदेशी बीमे के बारे में कहा जिसका कि भारतीय समवायों द्वारा विकास किया गया है, उन्हें डर है कि इसकी प्रगति रुक जायेगी, पर हम देखते हैं कि ओरियंटल के विदेशी बीमा नवीकरण व्यापार पर १७ प्रतिशत लागत आती है जबकि भारत में इस पर १३·७ प्रतिशत लागत आती है इसी प्रकार अन्य समवायों की हालत है। अतः हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या ऐसा करना लाभदायक है। १९५१ में ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी को साढ़े तीन करोड़ रुपया विदेशी बीमाधारियों के लेखे में जमा करना पड़ा था। यह तो एक से छीन कर दूसरे को देने की ही बात हुई।

अब भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और इस का कार्य विदेशों में अब भी बढ़ सकता है, क्योंकि अधिकतर विदेशों में रहने वाले भारतीय ही व्यापार बढ़ाते हैं और भारत में पंजीबद्ध समवायों में बीमा कराते हैं यदि उन्हें विश्वास हो कि समवाय की हालत अच्छी है और उनका धन सुरक्षित रहेगा तो अवश्य व्यापार बढ़ेगा।

श्री तुलसीदास ने वित्त मंत्री को यह भी चुनौती दी कि सरकार को एक राज्य निगम चलाने दिया जाय और गैर सरकारी व्यक्तियों को बीमा समवाय, और फिर देखा जाये कि किसे सफलता प्राप्त होती है, मुझे आश्चर्य है कि श्री अशोक मेहता ने भी यही मत व्यक्त किया। अब मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में क्या कहेंगे, तथापि इतना तो मानना ही होगा कि सरकार उन कुत्सित तरीकों का प्रयोग नहीं कर सकती जिनको ये गैर-सरकारी बीमा कम्पनियां काम में लाती थीं। गैर-सरकारी कम्पनियां एक तो छूट देती थीं दूसरे अन्य कम्पनियों को बदनाम करती

[श्री वेंकटरामन]

थीं। इस प्रकार की प्रतियोगिता द्वारा वे बीमा प्राप्त करती थी, लेकिन इसका परिणाम यह होता था कि बीमा कराने वाल व्यक्ति का विश्वास सभी बीमा कम्पनियों से उठ जाता था, क्योंकि एक कम्पनी का एजेन्ट दूसरे कम्पनी की बदनामी करता और दूसरी कम्पनी का एजेन्ट पहिली कम्पनी की बदनामी करता था। परिणाम यह होता था कि उसका विश्वास दोनों से ही उठ जाता था। इस से बीमा व्यवसाय को धक्का ही लगता था। इस कारण उनका यह कहना कि भारत में बीमा बेचा जाता है खरीदा नहीं जाता निराधार है। भारत में १७० बीमा कम्पनियां हैं जिनमें २।। लाख एजेंट है। उन्होंने ४० करोड़ रुपये की बीमा की किश्तें प्राप्त की है जिसमें से २३ करोड़ रुपया कमीशन का मिला है लेकिन उन्होंने उक्त तरीके अपनाये हैं। क्या इस बात पर बीमा उद्योग को गर्व करना चाहिये ?

मेरे विचार से राष्ट्रीयकरण के द्वारा फिजूल की प्रतियोगिता और लाभ कमाने के उद्देश्य का अन्त होगा और बीमा धारियों को पूर्ण सुरक्षा मिल जायेगी।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : बीमा के राष्ट्रीयकरण का अनुमोदन करने में श्री वेंटकरामन् से किसी प्रकार भी पीछे नहीं हूँ। ज्ञात होता है कि उन्होंने श्री तुलसीदास के प्रश्नों का उत्तर देने का निश्चय कर लिया था; लेकिन ऐसा करते समय उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से श्री तुलसीदास की बातों का ही समर्थन किया; क्योंकि श्री तुलसीदास ने कहा था कि पिछले वर्षों में इस व्यवसाय में कदाचार वित्त मंत्रालय के बीमा विभाग की अदक्षता के कारण ही हुआ है। उनकी बांतों में सत्यांश काफी था यथा बीमा क्षेत्र को नौकर शाही के हाथों में देने से काफी खतरे पैदा हो सकते हैं। यद्यपि श्री वेंकटरामन ने कहा है कि सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग साथ साथ नहीं चल सकते हैं तथापि यदि मैंने इस विधेयक को ठीक से पढ़ा है तो हम इसमें मिश्रित अर्थ व्यवस्था के सिद्धांतों को ही अपना रहे हैं। मैं श्री फिरोज़ गांधी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तथ्यों को जनता के समक्ष रख कर समाज का उपकार किया है। श्री गाडगील ने इस विधेयक के राष्ट्रीयकरण का दार्शनिक तथा नैतिक आधार बताया है तथापि मैं ऐसा कोई आधार नहीं देख सका हूँ।

मैं वित्त मंत्री से यह बात पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने केवल जीवन बीमा का ही राष्ट्रीयकरण क्यों किया और सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया। क्या इसका एक कारण यह भी था कि सामान्य बीमा का ४९ प्रतिशत विदेशियों के हाथों में है। क्या इसी कारण विधेयक को सभा में लाने के पूर्व अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता समझी गई। सामान्य बीमे के क्षेत्र में भी वही सब त्रुटियाँ और खराबियाँ हैं जो कि जीवन बीमे के क्षेत्र में हैं और वहाँ भी रुपया गायब होने के खतरे हैं। तब क्या कारण है कि इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। आशा है वित्त मंत्री चर्चा का उत्तर देते समय इस बात पर अवश्य प्रकाश डालेंगे।

मैं बीमा व्यवसाय में होने वाले कदाचार पर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करूँगा। क्या सरकारी क्षेत्र में जाने पर ये कदाचार बन्द हो जायेंगे ? कई सरकारी क्षेत्रों में कदाचार चलता है और जब आप इस व्यवसाय को अनुभवहीन तथा अप्रशिक्षित पदाधिकारियों के हाथों में दे रहे हैं तो इसमें कदाचरण की सम्भावना और भी बढ़ जायेगी। मैंने उन पदाधिकारियों की सूची देखी है जिन्हें अब इसका प्रभार सोंपा जायेगा। वे लोग सब भूतपूर्व कार्यपालक अधिकारी हैं। केवल उनका पद बदल दिया गया है। अब वे अभिरक्षक कहलायेंगे। और उन्हें दूसरी कम्पनियों में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। क्या केवल इतना करने से वहाँ कदाचार की सम्भावना समाप्त हो जायेगी ? क्या इस प्रकार बीमाधारियों के अधिकारों की रक्षा होगी ? मैं इससे नितांत असंतुष्ट हूँ। जिस प्रकार सरकारी क्षेत्र का संचालन हो रहा है उससे भी मैं नितान्त असन्तुष्ट हूँ। संसद् को

†मूल अंग्रेजी में।

इन के कार्यों पर अधिक नियंत्रण रखना चाहिये। इससे यह न समझना चाहिये कि मैं राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रहा हूँ। आज हम धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं और, अमृतसर कांग्रेस में रखे गये संकल्प के अनुसार समाजवादी ढंग के समाज को बनाने में प्रयत्नशील हैं तथापि हमारा उस पर क्या नियंत्रण है ?

अब मैं इस प्रश्न के तीन प्रमुख पहलुओं को लूंगा ये पहलू हैं : प्रबन्ध क्षेत्र कर्मचारी और प्रशासकीय कर्मकारी।

प्रबन्ध के प्रश्न में व्यापक रूप से मैं अभी कह चुका हूँ। उक्त अभिरक्षकों के कार्यों का नियमित रूप से पुनरीक्षण करने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि एक बार नियुक्ति हो जाने पर सारा कार्य इन्हीं के हाथों में चला जायेगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** हम यहाँ पर अस्थायी व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** लेकिन अस्थायी व्यवस्था का भी तो कुछ आधार होना चाहिये। यह अस्थायी व्यवस्था कब तक जारी रहेगी ?

†**श्री सी० डी० देशमुख :** जब तक कि दूसरा विधेयक पारित नहीं हो जायेगा।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** निसन्देह में तब तक धैर्य रखूंगा। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा इस पर उचित रीति से विचार किया जाना चाहिये।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस योजना के अन्तर्गत बीमा सस्ता हो जायेगा किन्तु इससे व्यवसाय का कुल परिमाण बढ़ेगा नहीं अपितु घटेगा।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** मैं जानता हूँ कि इस वर्ष की २४ फरवरी तक, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, इन समवायों का—मेरा तात्पर्य बड़े समवायों से है—कारबार बढ़ा है।

†**डा० लंका सुन्दरम् :** यह कार्य पुराने क्षेत्र कर्मचारियों ने ही किया है। मैं अभी इस बात पर आता हूँ।

मैं जिस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, वह यह है कि जब व्यवसाय के कुल परिमाण में कमी आ जायेगी तो इससे मिलने वाली राशि, जिसका अनुमान १० करोड़ रुपये लगाया गया है और जिसको कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजाना में उपयोग करने के लिये चाहती है, कमी आ जायेगी; क्योंकि विदेशों में जहां कई अभारतीय भी इस समय इस व्यवसाय के ग्राहक हैं वे अपना हाथ खींच लेंगे।

जहाँ तक क्षेत्र कर्मचारियों का प्रश्न है मैं वित्त मंत्री की इस बात से सहमत हूँ कि इन कदाचारों को समाप्त कर देना चाहिये।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

मैं नहीं समझता कि लगभग २।। लाख क्षेत्र कर्मचारियों को तत्काल ही उनके काम से हटा दिया जायेगा, क्योंकि सरकार को भी ऐजेन्टों की आवश्यकता होगी ही। सरकार को (योग्यता के आधार पर) इस प्रश्न पर ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिये कि उक्त २।। लाख कर्मचारियों में से कितनों को अपने काम पर लगे रहने दिया जाय।

अब मैं प्रशासकीय कर्मचारियों को लेता हूँ। इस सम्बन्ध में दो तीन बातों पर आग्रह करना चाहता हूँ। पहिली तो यह है कि ५०० अथवा उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० लंका सुन्दरम्]

साथ पूर्ण न्याय किया जाना चाहिये और यथासम्भव उनका वेतन न घटाया जाय। दूसरी बात यह है कि इन बीमा कम्पनियों तथा उनके कर्मचारियों के बीच कई वाद अनिर्णीत पड़े हुए हैं। मैं वित्त मंत्री से यह आश्वासन माँगता हूँ कि वे इन झगड़ों को निपटाने के लिये तत्काल समुचित कार्यवाही करेंगे जिससे कि १५० से भी अधिक भारतीय बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें न रह जायें। इन सभी कर्मचारियों को एक ही वर्ग में मिला लिया जाय और उनके लिये उपयुक्त वेतन स्तर निश्चित किया जाय। उन्हें यदि निवृत्ति वेतन के लाभ न मिलें तो भविष्य निधि के लाभ अवश्य मिलने चाहिये। मैं वित्त मंत्री जी से उक्त बातों पर आग्रह करूंगा जिससे कि बीमा कर्मचारी उत्साही कार्यकर्त्ता बनें और केवल निम्न स्तर के सेवक बन कर ही न रह जायें।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ तथापि यह उतना पूर्ण नहीं है जितना कि हो सकता था।

मुझे ज्ञात हुआ है कि वित्त मंत्री की घोषणा से शेयर बाज़ार में एक हलचल मच गई। लेकिन शेयर बाज़ार को यहाँ की सामाजिक अवस्था का दर्पण नहीं कहा जा सकता है। कुछ भी हो जनता, कर्मचारियों तथा उद्योग के हित में, इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण बहुत पहिले ही हो जाना चाहिये था। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इस ओर कदम उठाया है लेकिन यदि साथ ही कुछ और कदम उठाये जाते तों अधिक अच्छा होता।

यह कहा गया है कि सरकार ने अध्यादेश जारी करके एक चोर की भाँति कार्य किया है। इस बात का उत्तर श्री सी० डी० देशमुख ने अपनी संयत किन्तु प्रभावशाली भाषा में दे दिया है। इस बात को सुन कर मुझे एक उदाहरण याद आता है जब कि एक सबसे अच्छी समझे जाने वाली बीमा कम्पनी ने, पिछले वर्ष राष्ट्रीयकरण की आशा देख कर पारस्परिक-करण की एक योजना जनता के सामने रखी और सारी जनता में यह विज्ञापित कर दिया था कि सरकार ने उक्त योजना स्वीकृत कर ली है और इस से उन्हें बहुत लाभ होगा। मैं वे आँकड़े नहीं दूँगा न मैं उस कम्पनी का ही नाम बताना चाहता हूँ। जब सबसे अच्छी कम्पनी इस प्रकार का कार्य करती है तो सर्व साधारण कम्पनियों के सम्बन्ध में क्या कहा जा सकता है। इसलिये यदि वित्त मंत्री कोई ऐसा अध्यादेश जारी करते हैं तो उचित ही करते हैं। लेकिन मैं यह बात नहीं समझ पाया हूँ कि सरकार ने सामान्य बीमा व्यवसाय को भी क्यों नहीं हथियाया। मैंने श्री एच० डी० मालवीय की हाल की एक पुस्तक पढ़ी जिसमें युक्तिसंगत तर्क और काफी आंकड़े यह दिखाने के लिये दिये गये हैं कि सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। उदाहरण स्वरूप कुछ ब्रिटिश वाणिज्यिक फर्में ऐसी हैं जो बहुत लाभ कमाती हैं और इस प्रकार कार्य करती हैं कि हमें बड़ी हानि उठानी पड़ती है। उपर्युक्त लेखक ने अपनी 'इन्श्योरेंस इन इण्डिया' नामक पुस्तक में लिखा है कि बहुत सी बीमा कम्पनियों के प्रबन्ध अभिकर्ता किस्तों पर छट के नाम से लाखों रुपया खा जाते हैं जिसका कोई लेखा नहीं रहता है। इतना ही नहीं इसी तरीके से ५ करोड़ के लगभग रुपये विदेशों को चले जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस अवैध छूट को अभी पर्याप्त रूप से रोका नहीं जा सका है और २ करोड़ रुपये के लगभग उद्योगपतियों और व्यापारियों की जेबों में जाता है।

मैं कल सभा में श्री तुलसी दास कीलाचन्द और श्री सोमानी के उन कथनों से सहमत हूँ कि विधियों को उचित रूप से लागू किया जाये और इन सारे मामलों की जांच की जानी चाहिये। उदाहरण स्वरूप हम यह जानना चाहेंगे कि बीमा नियंत्रक वास्तव में क्या करता रहा है? मैं चाहूँगा

---

†मूल अंग्रेजी में।

कि इस विषय में सारी स्थिति स्पष्ट की जाये वास्तव में जिस ढंग से राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, मुझे वह पसन्द नहीं है। अभिरक्षकों की नियुक्ति से मैं नहीं समझता कि स्थिति में कुछ सुधार होगा क्योंकि इनको राष्ट्रीयकरण में विश्वास नहीं है, जैसा कि वे कई बार कह चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि अभिरक्षकों को हटा दिया जाय वरन् उन पर कड़ा नियंत्रण अवश्य रहना चाहिये। मैं चाहूँगा कि सरकार इस सम्बन्ध में ऐसी विधायिनी और कार्यकारिणी व्यवस्था करे जिससे उद्योगपति मनमाना लाभ न कमा सकें। श्री एम० सी० शाह के इस कथन का कि बीमा कम्पनियों के कर्मचारी निगम के अधीन हो जायेंगे किन्तु उनकी सेवा की शर्तों का अभिनवीकरण करके उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान स्तर पर रखा जायेगा, मेरी समझ से ऐसा करने से बीमा कर्मचारियों में भ्रम उत्पन्न होगा। अतः मेरा सुझाव यह है कि फिलहाल न तो छंटनी होनी चाहिये और न ही अप्रत्याशित तबादले ही।

†**श्री एम० सी० शाह :** तबादले का कारण या कार्यालय का स्थानान्तरण हो जाना।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी :** एक बात मुझे यह कहनी है कि ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी की किस्तों की दरों को स्वीकार कर लेने से भविष्य निधि समितियों में विशेष रूप से गड़बड़ी पैदा हो गई है। भविष्य निधि समितियों के लिये ओरियण्टल की दर लागू करना कठिन होगा मेरे विचार से किस्तों की दर के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिये और जब तक इसका निर्धारण नहीं होता तब तक यथापूर्व दरें बनी रहने देनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि उन कम्पनियों में बीमा करवाने वालों को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिये जिनकी दायित्वों की अपेक्षा आस्तियां कम हैं क्योंकि इसमें उनका कोई अपराध न होकर नियंत्रक का ही अपराध है।

एजेंसियों के बारे में मुझे यह कहना है कि इसमें शुरू से आखिर तक वतमान स्थिति में परिवर्तन होना चाहिये। नेकनीयत वाले एजेंटों की सहायता की जानी चाहिये और उनके काम करने की दशायें निर्धारित करके जाली एजेंसियों को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इन सब के बारे में सरकार को निश्चय कर लेना चाहिये कि वह क्या करना चाहती है।

मेरे विचार से वर्तमान विधेयक के खण्ड ६ के अनुसार प्रबन्ध को किसी प्रकार का प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिये। फिर भी यदि सरकार ने प्रतिकर देने का निश्चय ही कर लिया हो, तो भी मैं इस दर के पक्ष में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि इस खण्ड के उपबन्ध लागू हो गये तो ओरियण्टल कम्पनी को प्रति मास अपनी समस्त प्रदत्त पूंजी का लगभग १।१२ भाग मिला करेगा।

जहाँ तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, विदेशी विनिमय के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री मेरी बातों का ऐसा उत्तर देंगे जो निराशापूर्ण नहीं होगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र का यह कहना तो सरासर ग़लत है कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करने से इस क्षेत्र को बड़ी हानि पहुँचेगी। आज यदि देखा जाये तो ऐसा कहने वाले लोग देश-भक्ति केवल उसी चीज़ में दिखाते हैं जिसमें उनका खूब लाभ होता हो। वास्तव में अब इस ओर हम सजग हो गये हैं और इस प्रकार की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। यदि कुछ कमियां हैं भी तो उन्हें दूर करना है, और उसके लिये सरकार को कम-से-कम विदेशी विनिमय के बैंकों का राष्ट्रीयकारण करना होगा, जैसा कि जनता चाहती है।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : अन्य औद्योगिक कम्पनियों की तुलना में बीमा व्यवसाय में पूँजी का महत्व कम है। वस्तुतः कुछ बीमा कम्पनियों में बहुत कम पूंजी से बहुत व्यवसाय किया जाता है। मैं वित्त मंत्री को इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के लिये बधाई देता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मात्तन]

आज हर बड़े व्यवसायी को यही चाव है कि बीमा कम्पनी खोली जाय किन्तु इसको वे गौण व्यवसाय समझते हैं, मुख्य नहीं। अतः सरकार को ऐसे अवसर पर हस्तक्षेप करके इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिये कि वे लगन से इस व्यवसाय को चलायें ।

आज प्रतियोगिता का युग है क्योंकि एकाधिपत्य से भ्रष्टाचार फैलता है। इस कारण गैर-सरकारी क्षेत्र का रहना आवश्यक है। मैं श्री सोमानी की भांति निराशावादी नहीं हूँ क्योंकि मेरा विचार तो यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र का विकास होगा। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह कुछ कम्पनियों को निजी लोगों के हाथों में ही छोड़ दें। इस प्रकार की कम्पनियों की संख्या क्या हो, इसका निर्णय मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ। इनकी संख्या किसी भी दशा में दस से अधिक नहीं होनी चाहिये । इन पर सरकार का वित्तीय नियंत्रण होना चाहिये, किन्तु उनका होना इस दृष्टि से आवश्यक है कि प्रतियोगिता चलती रहे, हाँ, एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि मैं कथित पूँजीवादियों या बड़े-बड़े व्यापार केन्द्रों के पक्ष में नहीं हूँ वरन् मैं तो राष्ट्रीयकृत उद्योग के हित में कह रहा हूँ। मेरा विचार है कि कुछ कम्पनियां निजी लोगों के हाथों में छोड़ दी जायें। अभिरक्षक कम्पनियों का मूल्यांकन कर लेंगे और फिर न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उनमें से दस-बारह कम्पनियां छांटी जा सकेंगी। मैं एकाधिपत्य के पक्ष में नही हूँ, जैसा कि पहले बता चुका हूँ।

मेरी समझ में एक बात यह नहीं आई कि मेरे मित्र श्री अशोक मेहता कुछ निजी कम्पनियां केवल इसी क्षेत्र में रखने के पक्ष में क्यों हैं। वास्तव में देखा जाये तो यह बड़ी आवश्यक और युक्ति-संगत चीज है। मैं उनके इस कथन से पूर्णतया सहमत हूँ कि सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये किन्तु उस पर एकाधिपत्य नहीं होना चाहिये। मैं श्री सोमानी से पूछना चाहूँगा कि किस देश में बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया है और प्रतियोगिता के बिना कहां पूर्ण सफलता मिली है ?

इस सम्बन्ध में मैं एक अमेरिकी निगम का उदाहरण देना चाहूँगा जो विभिन्न प्रकार के साबुनों आदि का निर्माण करता है और एक दूसरे से पूर्ण प्रतियोगिता करता है, अर्थात् एक ही कम्पनी के दो क्षेत्रों में प्रतियोगिता चलती है। इसके लिये हमें अमरीकनों के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मुझे शंका है कि हमारे वित्त मंत्री इस आधारभूत तथ्य को नहीं समझ सके हैं ।

यदि वित्त मंत्री किसी भी कारणवश गैर-सरकारी क्षेत्र के पक्ष में नहीं हैं तो मैं यह सुझाव दूँगा कि प्रतियोगिता की भावना को बनाये रखने के लिये वह चार स्वायत्तशासी निगम बना दें।

†**श्री के० सी० सोधिया** (सागर) : प्रतियोगिता की आवश्यकता ही क्या है जब आप बीमे का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं ?

†**श्री मात्तन** : अलग-अलग बोर्डों वाले चार निगम यह देख लेंगे कि कहाँ किस्त की दर सबसे कम है ।

†**श्री एम० सी० शाह** : क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न दरें रखने का है ?

†**श्री मात्तन** : मेरा ऐसा सुझाव नहीं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि मूल्यांकन करते समय कोई निगम यह देखता है कि वह किस्त में कुछ कमी करके भी कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है, तो उसे रोकना नहीं चाहिये।

मेरे त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मोटरों का बीमा होता है। इस पर एकाधिकार है। मेरा विचार है कि एकाधिकार चाहे सरकार का हो अथवा अन्य किसी का, किन्तु वह प्रतियोगिता की भांति भली प्रकार नहीं चल सकता क्योंकि उसके बिना वह कुशलता नहीं आ पाती।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : राष्ट्रीयकरण का प्रश्न १९५० में ही उठा था और इस प्रश्न को इस सभा के सम्मुख लाने में लगभग छः वर्ष लग गये।

सभा में दोनों पक्षों की ओर के मित्रों द्वारा कदाचरण के मामलों की चर्चा की गई है और मुझे अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अनेक बार ऐसे व्यक्तियों की ओर से पत्र लिखने का अवसर प्राप्त हुआ है जिन्होंने विभिन्न समवायों से बीमा कराया था और बीस वर्ष तक प्रीमियम (किस्त) जमा करने के बाद जब पालिसी पूरी होने का समय आया तो समवाय की ओर से उनके पत्रों का कोई उत्तर नहीं मिला। बीमा नियंत्रक ने बताया कि वह सर्वथा शक्तिहीन हैं। वह समवाय से रकम देने के लिये केवल अनुनय कर सकते हैं। किन्तु अनुनय से कुछ नहीं होता। बीमा के राष्ट्रीयकरण में किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं बरती गई है ?

राष्ट्रीयकरण के तीन मुख्य उद्देश्य हैं--बीमाधारियों की निधियों का संरक्षण निधियों की प्रभावी चलिष्णुता और कुशल सेवा।

बीमा के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बीमाधारियों की निधि उतनी ही सुरक्षित है जितनी स्टेट बैंक आफ इण्डिया में जमा की गई राशि। इस सम्बन्ध में कोई भी आशंका नहीं होनी चाहिये। लेकिन जब तक आप आवश्यक कार्यवाही नहीं करते, बीमा समवाय की निधियों को प्रभावशाली ढंग पर चलिष्णु नहीं किया जा सकता। हम इस दिशा में पोस्टल बीमा से शिक्षा ले सकते हैं। १९१४ में इसमें ३, ३८,००,००० रुपये का व्यवसाय था। चालीस वर्ष के पश्चात् १९५२ में यह रक़म केवल २० करोड़ रुपये तक ही पहुँच सकी जब कि इसमें प्रीमियम की दर कम होने के साथ अन्य सुविधायें भी थीं।

†**श्री के० सी० सोधिया** : क्या विधि द्वारा राष्ट्रीयकृत बीमे में पालिसी करवाना अनिवार्य नहीं किया जा सकता है ?

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : राज्य अपने कर्मचारियों को बीमा करवाने के लिये विवश कर सकता है। मैसूर राज्य में ऐसा किया जा रहा है। एक निर्धारित वेतन श्रेणी के ऊपर सब पदाधिकारियों को मैसूर में राज्य बीमे में बीमा कराना पड़ता है। वहां राज्य बीमे का कार्य भली भांति चल रहा है।

डाक बीमे में कुछ जन्मजात दोष हैं। डाक पदाधिकारियों में उत्साह का अभाव है। उनमें लग्न की भावना नहीं। हमें राष्ट्रीयकरण के पश्चात् आलस्य और अकर्मण्यता में नहीं खो जाना चाहिये। केवल यह कहने से काम नहीं चलता कि हम सरकार के ही अंग हैं तथा हम निजी बीमा समवायों की भांति सब पद्धतियों का आश्रय नहीं ले सकते। गैर-सरकारी बीमा समवायों में कुछ गुण हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। अधिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होकर वे दूर-दूर के गांवों म जाते हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ऐसे उत्साह को ही आवश्यकता है। नौकरशाही की गति सदैव धीमी होती है। गैर-सरकारी बीमा समवाय जनता की इच्छा पूर्ति करते हैं। आवश्यकता होने पर लोगों को विवाह, आदि के अवसरों पर शीघ्र ऋण मिल जाता है। दावों का निबटारा भी शीघ्रतापूर्वक किया जाता है। निधियों को अधिक चलिष्णु बनाने के लिये इम्पीरियल बैंक, राज्य कोषागारों और डाकखानों का अधिक प्रयोग किया जाये ताकि 'बीमे का सन्देश' दूर-दूर के गांवों तक पहुँच सके और अधिक निधियां उपलब्ध की जा सकें। इसके अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये जो प्रोपेगैण्डा-व्यवस्था की जा रही है उसका एक अंग बीमा भी रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

गैर-सरकारी बीमा उद्योग में जो लोग असफल होकर बीमा एजेंसी व्यवसाय को अपने जीवन-यापन का आधार मान चुके हैं उनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने स्पष्ट नहीं बताया। ऐसे सैंकड़ों आदमी हैं जिनकी आय बहुत कम है जो भली प्रकार भरणपोषण नहीं कर सकते। वे इस क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपनी आमदनी पूरी कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इन लोगों की क्या स्थिति होगी। उनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं। ये वे लोग हैं जिन्होंने जीवन में असफल होकर यह कार्य अपनाया है। लेकिन हमें इस बात को स्मरण रखना है कि उनमें लोगों से मिलने और बीमें में रुपया नियोजित कराने का उत्साह पैदा करने की क्षमता है।

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसियेशन ने इस व्यवस्था का स्वागत किया है। उनका कथन है कि सामान्य बीमे का भी शीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने इस दिशा में आश्वासन दिया है। मैं विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूँ।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : जीवन बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई है उस पर विचार करते समय मुझे संस्कृत की सुन्दर पदावलि याद आ गई है। यदि वित्त मंत्री यहां होते तो मैं उसे अवश्य उद्धृत करता।

†**कुछ माननीय सदस्य** : कह दीजिये।

†**श्री आल्तेकर** : मैं बताऊंगा। एक संस्कृत पण्डित मार्ग से गुज़र रहे थे कि उनकी दृष्टि माला पिरोती हुई एक सुन्दरी की ओर गई। सहसा पंडित जी ने कहा:

"कांचं मणिं कांचनमेकं सूत्रे मुग्धा निबध्नाति"

अर्थात् यह नारी एक ही धागे में कांच, स्वर्ण और उससे भी अधिक मूल्यवान मणियां पिरो रही है। किन्तु थोड़ी देर विचार करने के पश्चात् उन्होंने कहा :

"किमत्र चित्रम्"

इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वैयाकरण पाणिनि ने एक ही सूत्र–श्वयुवमघोनाम्–के अन्तर्गत श्वान, युवक और इन्द्रदेव को उपस्थित किया है :

"विचारवान्पाणिनिरेकसूत्रे श्वानं युवानं मघवानमाह"

इसी प्रकार यहां एक ही प्रकार के संगठनों में अनेक बुराइयों ने प्रवेश कर लिया है। राष्ट्रीयकरण करने के पूर्व इन बुराइयों को दूर करना आवश्यक था। यही कारण है कि माननीय मंत्री ने यह कार्यवाही की है। लेकिन जो लोक अपना व्यवसाय ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं उन्हें इससे रुष्ट नहीं होना चाहिये। आकस्मिक जाँच के समय उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जायेगी। वर्तमान अध्यादेश में उनके प्रति दोषारोपण जैसी कोई बात नहीं।

गैर-सरकारी बीमा उद्योग के समाप्ति युग के वर्तमान अवसर पर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में उसने अत्यन्त महत्वपूर्ण और देशभक्ति से परिपूर्ण कर्त्तव्य की पूर्त्ति की है। मेरे क्षेत्र की एक समवाय ने अधिरक्षक को व्यवसाय भार सौंपते हुए अपनी निदेशक बोर्ड की बैठक में कहा था कि यह कार्य उसी प्रकार है जैसे पिता अपनी सुपोषिता और शिक्षित कन्या को उसके पति के हाथों सौंप रहा हो :

"जातो ममायं विशदः प्रकामं
प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा।।"

बिदाई की बेला में दुःख तो होता ही है किन्तु सरकार को उत्तरदायित्व सौंप देने पर देश का हित तो सर्वोपरि रहेगा ही। मैं सतारा की वेस्टर्न इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की चर्चा कर रहा हूँ। उसका अस्सी वर्षीय मैनेजर अपने साधारण घर से आधा मील दूर स्थित कम्पनी

†मूल अंग्रेजी में।

के आलीशान दफ्तर तक पैदल जाता है और जब वह मैनेजिंग डायरेक्टर था तो उसने कभी ३५० रुपये से अधिक वेतन नहीं लिया। आज कम्पनी के पास ७ करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे व्यक्ति अभिनन्दन के पात्र हैं। विशेष एजेंट, सब एजेंट और मुख्य एजेंट–एजेंटों की इस श्रृंखला ने बड़ी परेशानी उत्पन्न कर रखी है। वर्तमान अवस्था में स्वयं इन एजेंटों को भी कोई लाभ नहीं होता। एजेंटों का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिये तथा एक क्षेत्र में काम करने वाले एजेंटों की संख्या भी निश्चित होनी चाहिये।

श्री तुलसीदास किलाचन्द ने कहा कि इस देश में आयकर देने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, अतः बीमा व्यवसाय के विस्तार की गुंजायश नहीं है। लेकिन मेरा मत है कि आयकर देने वाले व्यक्ति ही बीमा नहीं कराते।

अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय १०,००० रुपये है तथा बीमे की औसत पालिसी १२,००० रुपये है; ब्रिटेन में औसत आय ४,२०० रुपये और औसत पालिसी ८,२५० रुपये है, भारत में प्रति व्यक्ति आय और औसत पालिसी क्रमशः २८४ रुपये और ५,३०० रुपये, विदेशी समवायों के सम्बन्ध में, तथा २१६५ रुपये भारतीय समवायों के सम्बन्ध में है। अमेरिका में पालिसी औसत आय से सवा गुना तथा ब्रिटेन में दुगुनी है जब कि भारत में यह दस गुना है। यदि उचित व्यवस्था की जाये तो बीमा व्यवसाय के प्रसार के लिये पर्याप्त क्षेत्र है।

बीमा व्यवसाय को न्यास (ट्रस्ट) की भांति समझना चाहिये तथा इससे उन्हीं योजनाओं के लिये ऋण स्वरूप रक़म दी जानी चाहिये जहां अच्छे लाभ की आशा हो अन्यथा बीमा धारियों को हानि रहेगी। इसके साथ ही शिक्षा संस्थाओं को उपलब्ध होने वाली राशि तथा अधिक अवधि से काम करने वाले व्यक्तियों को दिये गये उपदान में कोई रुकावट न हो और सेवानिवृत्ति आयु ६० वर्ष निश्चित कर दी जाये।

समवाय के पूरे समय के कर्मचारी–प्रबन्ध अभिकर्ताओं के मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। वस्तुतः निगम विधेयक की कण्डिका १० के अन्तर्गत उन्हें पूरे समय का कर्मचारी समझना चाहिये।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : मैं विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूँ यद्यपि राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत बीमा व्यवसाय का परिमाण पर्याप्त नहीं है।

जिस प्रकार युवा और लज्जा शील कन्या विवाह के उपरान्त पतिगृह जाते समय झिझकती है वैसी ही स्थिति श्री देशमुख की है। वह समाज की पूँजीवादी व्यवस्था के प्रति अनुरक्त हैं किन्तु समाजवादी व्यवस्था की ओर उन्हें ढकेला जा रहा है। उन्हें इस ओर जाने में झिझक अनुभव हो रही है।

यदि हम १९३८ और १९५२ में हुए सम्बन्धित वाद-विवाद का अध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि वक्ताओं ने चेतावनी दी थी कि इस व्यवसाय में विधि और व्यवस्था उचित नहीं और सरकार को इसे अपने हाथ में लेने के लिये विवश होना पड़ेगा। सरकार ने वर्तमान में जो कार्यवाही की है हम उसका समर्थन करते हैं।

जब वित्त मंत्री ने भाषण दिया था तो ऐसा लगता था कि बीमा उद्योग अपराधी के कठघरे में खड़ा है और मंत्री महोदय अभियोक्ता की भांति उस पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। और श्री तुलसीदास तथा श्री सोमानी बचाव पक्ष के वकीलों की भांति आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन आंकड़े लिपिस्टिक की तरह हैं, यदि उनका उचित उपयोग किया जाये तो वह सुन्दरता की वृद्धि करते हैं किन्तु अधिक मात्रा में उसका उपयोग होने पर विकृत आकृति और भी विकृत बन जाती है। श्री तुलसीदास किलाचन्द द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सका है। मैं एक

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एस० एस० मोरे]

ग्रामीण को जनता हूँ। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा पत्नी ने बीमा की गई रकम का दावा प्रस्तुत किया। समवाय ने उस के पास अनेक फार्म भेजे। उसके पति की मृत्यु एवं दाह क्रिया सम्बन्धी मेडिकल सर्टीफिकेट पर्याप्त न मानते हुए विधवा से कहा गया कि वह अपने मृत पति के सिर के बालों का रंग, आदि ऐसी अनेक बातों का उत्तर दे। मुझे विश्वास है कि ऐसा केवल इस लिये किया गया कि समवाय को कहीं पर कोई त्रुटि नज़र आ जाये और वह कह दे, "आप शर्तें पूरी नहीं करते हैं, हम आपको रकम देने के लिये तैयार नहीं हैं"।

श्री अशोक मेहता इसलिये सन्तुष्ट नहीं थे कि राष्ट्रीयकरण के लिये अध्यादेश जारी करने का ढंग क्यों अपनाया गया। लेकिन यह सर्वथा वैधानिक तरीका है। और यदि वित्त मंत्री विधेयक प्रस्तुत कर उस पर चर्चा आरम्भ करते तो क्या परिणाम होता? वे सब प्रबन्ध अभिकर्ता जो भ्रष्टाचार और मिथ्या कार्यों में विशेषज्ञ हैं धोखे की बातें करते। अध्यादेश जारी करने में सरकार की निन्दा करने जैसी कोई बात नहीं है।

अनेक लोगों का मत है कि राष्ट्रीयकरण किसी देश में सफल नहीं हुआ है और सरकार ने ग़लती की है। हमें यह जानना चाहिये कि इन देशों का अनुभव हमारे लिये कहाँ तक संगत है। श्री एम० सी० शाह ने जिस विश्वास के साथ यहां भाषण दिया है मैं उसकी सराहना करता हूँ किन्तु आधारहीन विश्वास अपेक्षणीय नहीं। मैं वित्त मंत्री एवं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि वह इस कार्य को इतने सुन्दर ढंग से क्रियान्वित करें कि इसकी असफलता सम्बन्धी सब बातें व्यर्थ सिद्ध हों। मैं समझता हूँ कि प्रारम्भ में तो यह राष्ट्रीयकरण नौकर-शाही या अफसरशाही तथा अन्य बुराइयों की ओर ले जाएगा। किन्तु यदि यह अफसरशाही रही आएगी तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीयकरण का कोई लाभ नहीं है। तब सरकार की पालिसीदारों की अधिक सर्विस की सारी लम्बी-चौड़ी बातें बेकार होंगी। किसी भी चीज़ को राष्ट्रीयकृत करने का पहला परिणाम नौकरशाही या अफसरशाही होता है; किन्तु उसके बाद शीघ्र ही उसका समापन होकर उसे जनता के लिये वास्तव में उपयोगी बन जाना चाहिये। तभी जनता सरकार के इस प्रकार के कार्यों का स्वागत और समर्थन करेगी। इसलिये में पूरे ज़ोर के साथ कहता हूँ कि सरकार को बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि एकाधिकार पाकर इसकी सम्भावना है कि सरकार जनता की आलोचनाओं पर ध्यान न दे। आलोचनाओं का सरकार को स्वागत करना चाहिये तथा जो कमियां बतायी जायें उन्हें दूर करना चाहिये।

श्री तुलसीदास ने सरकार को चुनौती दी है। मैंने उन्हें कभी इतने आवेश में नहीं देखा। वह बड़ी भर्त्सना तथा धमकी के 'मूड' में थे। सरकार को उनकी चुनौती स्वीकार करके दिखा देना चाहिये कि सरकारी शासन कहीं अधिक सक्षम तथा भ्रष्टाचार-रहित है तथा उन दोषों से मुक्त है जो अब तक जीवन बीमा व्यवसाय में भरे थे। मुझे आशा है कि सरकार आत्म-विश्वास के साथ कार्य करेगी तथा अनुभव बढ़ने पर सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण कर देगी।

जीवन बीमा आजकल मध्यवर्ग के तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों तक ही सीमित है। इसलिये महज़ बीमे का राष्ट्रीयकरण ही पर्याप्त नहीं है अपितु इसे ग्राम्य क्षेत्रों में लोक-प्रिय बनाने की भी अत्यावश्यकता है। बीमे की अन्य प्रकारें भी विकसित की जानी चाहिये जैसे ढोरों का बीमा, अकाल से बचने के लिये बीमा इत्यादि। सन् १९४६ में नियुक्त सहकारी योजना समिति ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग समस्त जनसंख्या तथा कम आय वाले वर्ग जैसे शहरी क्षेत्रों के कारखानों के मजदूर बीमा के लाभों से सर्वथा वंचित हैं। समिति द्वारा बताया गया दोष सरकार को दूर करना चाहिये। साथ ही साथ जो दोष सरकार को बताए जायें उन्हें सरकार दूर करने का प्रयत्न करे। तभी देश में समाजवादी ढाँचे की नींव पड़ेगी।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** (एलुरु) : इस विधेयक की सब ओर से जो प्रशंसा की गई है इससे स्पष्ट है कि इसका पूर्ण स्वागत हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी करने के बजाय सीधा विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। यह आपत्ति मेरी समझ में नहीं आती। जब कोई चीज़ देश के हित में की गई है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को इससे सहायता मिलने जा रही है जिसमे कि देश का औद्योगिक विकास होगा तथा लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो चाहे यह अध्यादेश जारी करके किया जाये या विधेयक प्रस्तुत करके इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

जैसा मेरे कुछ मित्र पहले ही बतला चुके हैं, बीमे के मामले में काफी धोकेबाज़ी की गई है। यदि विधेयक प्रस्तुत किया जाता तो मैं समझता हूँ कि बहुत-सा रुपया उड़ गया होता और शायद बहुत से व्यापारी भी विदेशों को भाग गए होते। मेरे विचार में अध्यादेश जारी करना ही परिस्थितियों में सबसे अच्छा उपाय था। हमें नहीं मालूम कि पालिसीदारों का कितना रुपया अब तक ग़बन किया जा चुका है। यदि इस बात की जांच की जाये और मालूम हो कि बहुत-सा रुपया चला गया है तो मुझे विश्वास है कि सरकार बीमा उद्योगपतियों से इसे वसूल करने के लिये समुचित कदम उठाएगी।

लोगों ने इस बात पर शंका प्रकट की कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बीमा व्यवसाय भली प्रकार कार्य कर सकेगा। इसमें सन्देह नहीं कि जीप घोटाला तथा पूर्व-निर्मित मकानों का घोटाला जैसे मामले हमारे सामने मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीयकरण के ज़बरदस्त पक्षपातियों का जोश भी ठंडा कर देते हैं। इसलिये सरकार को इस व्यवसाय के सम्बन्ध में जिस में लोगों का करोड़ों रुपया लगा हुआ है अत्यन्त साहस तथा सावधानी बरतने की ज़रूरत है।

बहुत से लोगों ने यह शंका प्रकट की है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बीमा व्यवसाय में मंदी आ जायेगी। मुझे आशा है कि सरकार इसमें वृद्धि करने की दिशा में आवश्यक क़दम उठाएगी। सामूहिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं में स्वेच्छा से कार्य करने वाले कर्मचारियों की सहायता से बीमा का संदेश गांवों व शहरों के घर-घर में पहुंचाया जा सकता है। बीमा को लोकप्रिय बनाने के लिये संगठित प्रचार की बहुत आवश्यकता है।

श्री मुखर्जी ने बीमा एजेंटों की कितनी ही श्रेणियों के बारे में बतलाया –सब एजेंट, प्रादेशिक एजेंट, असली एजेंट, नकली एजेंट इत्यादि। सरकार को देखना चाहिये कि केवल वास्तविक एजेंट ही रहें और उन्हें ही अपने काम का लाभ प्रदान किया जाये। शेष को हटा दिया जाये।

जहाँ तक अन्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि वेतन, नौकरी की सुरक्षा, काम के घंटों तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में उन्हें यथोचित लाभ प्राप्त नहीं हैं तथा बीमा प्रबन्धकों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं रहा है। इसलिये सरकार को उन्हें संतुष्ट करना है।

समाजवादी राज्य की स्थापना में हमें धीरे-धीरे आगे बड़ना है। जब तक बीमा व्यवसाय जैसे बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण सफल नहीं होता, जनता के हृदय में इस बात की शंका बनी रहेगी कि अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण का प्रयोग किया जाये या नहीं।

श्री सोमानी ने एक जांच समिति की नियुक्ति की मांग की। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे जिन लोगों को सरकार के इस कदम के बारे में शंका है वह भी दूर हो जाएगी। श्री सोमानी ने यह भी पूछा कि यदि राष्ट्रीयकरण में सफलता नहीं हुई तो क्या सरकार वि-राष्ट्रीयकरण करने को तैयार होगी। मैं कहता हूँ 'हाँ'। लेकिन मान लीजिये कि यह सफल होती है। तो क्या श्री सोमानी तथा अन्य उद्योगपति अपने दूसरे उद्योगों को सरकार को दे देने को तैयार होंगे ? इसलिये मैं कहता हूँ कि यदि आप चुनौती देते हैं तो प्रति-चुनौती के लिये भी तैयार रहिये। मुझे आशा है कि सरकार को इसमें सफलता मिलेगी क्योंकि उसको जनता का समर्थन प्राप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। मैं इसके भी पक्ष में हूँ कि अध्यादेश जारी किया गया। यह काफी है कि आज सुबह अखबारों में हम ने पढ़ा कि अहमदाबाद के कुछ मिल-मालिकों ने उत्पादन शुल्क से बचने के लिये कपड़े के स्टॉक को गुप्त रूप से हटा दिया। यदि अध्यादेश जारी नहीं किया गया होता तो बीमा के बारे में भी यही चीज़ हुई होती तथा लाखों करोड़ों रुपये अवांछनीय लोगों के साथ में पहुंच गए होते। मैं तो वैसे भी सिद्धान्ततः राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूँ। मैं समझता हूँ कि समाजवादी राज्य की स्थापना के ध्येय की ओर यह सही क़दम है।

कुछ ही दिन पूर्व मैं ने अखबारों में दुर्गापुर स्टील वर्क्स के कार्य-कालापों के सम्बन्ध में पढ़ा था। इस समाचार में कहा गया था कि वहाँ के एक उच्च पदाधिकारी ने, जिसको स्पेशल ब्रांच द्वारा जाँच किये जाने तक की अवधि के लिये निलंबित किया जा चुका था, अपने आप निर्माण कार्यों और दुर्गापुर स्टील वर्क्स के लिये आवश्यक अन्य सामानों को क्रय करने के लिये टेण्डर जारी कर दिये हैं और उन पर मिले २७ लाख रुपये भी अनधिकृत ढंग से अपने ही पास रख छोड़े हैं। और यह उदाहरण अकेला ही नहीं है।

सोदेपुर ग्लास वर्क्स के सम्बन्ध में तो जितना भी कम कहा जाय उतना ही अच्छा है। हमने लोक लेखा समिति में वहां के एक पदाधिकारी का बयान लिया था और इस सम्बन्ध में समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कार्यकारिणी समिति द्वारा २०,००० रुपयों में खरीदी गई स्टाफ़कार को वहाँ के प्रबन्धक-निदेशक ने केवल अपने ही इस्तेमाल में रखा, यद्यपि उसकी नौकरी की शर्तों के अनुसार इस प्रकार की रियायत दिये जाने की बात नहीं थी। कार के अतिरिक्त उसका पैट्रोल भी औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ही दिया जा रहा था।

पुनर्वास वित्त निगम से, जिसको पिछले आठ वर्षों से चलाया जा रहा है, मेरा सम्बन्ध है। वहाँ भी ऐसी ही बात हुई थी। लोक लेखा समिति ने अपने पन्द्रहवें प्रतिवेदन में इस के सम्बन्ध में कहा है कि यहाँ विशेष रूप से ऊँचे पदों पर पदाधिकारियों की संख्या आवश्यकता से कहीं अधिक है। ऐसे कई मामलों की ओर समिति का ध्यान आकृष्ट किया गया जिनमें अनुभव और पूर्व परिचय की जांच कराये बिना ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति इतने वेतन पर की गई जो कि उन के पुराने पदों का ध्यान रखते हुए अत्यन्त ही अधिक था। समिति ने इस बात पर और वहाँ के सामान्य प्रशासन पर घोर असन्तोष प्रकट किया है। इसी प्रकार भाखड़ा-नंगल परियोजना में १० करोड़ रुपयों की राशि नष्ट हो गई। मुझे नहीं मालूम, उस मामले में क्या हुआ है।

यह थोड़े से उदाहरण इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि इन उपक्रमों को चलाने के हमारे ढंग में कुछ गड़बड़ी है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूँगा कि पदाधिकारियों को नियुक्त करने और प्रशासन को चलाने में बड़ी सतर्कता से काम लिया जाये। इन कार्यों में करोड़ों रुपये नष्ट किये जा चुके हैं।

इस विषय में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई भाई-भतीजा-वाद अथवा पक्षपात नहीं किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि हम को इस सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त निर्धारित कर देने चाहिये और उन्हीं का अनुसरण किया जाना चाहिये क्योंकि कर्मचारियों का नैतिक स्तर ऊँचा रखने में इससे हमको बड़ी सहायता प्राप्त होगी।

सरकार ने बीमा कम्पनियों के लाभकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों को संसद् की सदस्यता के लिये अनर्ह न घोषित किये जाने के उद्देश्य से जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उस पर अस्थायी विधान होने के कारण मुझको तो कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु हमें इस सम्बन्ध में अत्यन्त ही सावधान

†मूल अंग्रेजी में।

रहना पड़ेगा कि हम कहीं कोई ऐसा कार्य न कर बैठें जो दूसरों के आक्षेपों का लक्ष्य बन जाये। इसलिये मेरा सुझाव है कि संसद् अथवा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को एक ही समय में बीमा कम्पनियों के अभिकर्ता और संसद् अथवा राज्य विधान सभा के सदस्य बने रहने की अनुमति प्रदान न की जाये। यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी जानी चाहिये।

मुझे यह बताया गया था कि जो विधेयक हमारे सामने लाया जा रहा है उसमें इस आशय का कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है। परन्तु मेरा सुझाव है कि यह बात उस विधेयक में स्पष्ट रूप से रखी जानी चाहिये, क्योंकि हम लोकतन्त्र के युग में रह रहे हैं, और, अभी कोई गड़बड़ी न होने पर भी, ऐसा समय आ सकता है जब कि संसद् के सदस्य ही दबाव डालें और सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़े।

मुझे विश्वास है कि लोक-सभा का प्रत्येक सदस्य मेरी इस बात से सहमत होगा कि बीमा कम्पनी के अभिकर्त्ता का पद और संसद् अथवा राज्य विधान सभा की सदस्यता एक साथ नहीं चल सकतीं। यदि हम इस प्रतिमान को स्वीकार कर लें तभी कुछ परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा हानि होने की ही संभावना है।

मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूँगा कि वह इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट घोषणा करें कि भविष्य में सरकार की नीति क्या होगी? मेरी तो कामना यह है कि हम कर्मचारियों के भविष्य के सम्बन्ध में भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच सकें तो अच्छा हो, जिससे कि कोई भाई-भतीजावाद अथवा पक्षपात न किया जा सके और हम बिल्कुल उचित ढंग से प्रगति कर सकें और अपने कार्य में संतोषपूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं ईमानदारी के साथ सफलता प्राप्त कर सकें।

हमें मितव्ययी बनने का प्रयास करना चाहिये। साथ ही हमें अपना कार्य सुचारु ढंग से चलाना चाहिये।

मैं अन्य माननीय सदस्यों के इस सुझाव से भी सहमत हूँ कि हमें अपना कार्य ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी ले जाना चाहिये। हमारे बीमा व्यवसाय का केवल नगरीयकरण ही नहीं, वरन् ग्रामीयकरण भी किया जाना चाहिये।

†**श्री वीरस्वामी** (मयूरम्—रक्षित-अनुसूचित जातियाँ)) : जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक भारत सरकार द्वारा अब तक लाये गये सब से उत्तम और प्रगतिशील विधानों में से है। यह विधान यह दिखाता है कि, सब बातों का ध्यान रखते हुए, हम निश्चित रूप से समाजवाद के चिर अभिलषित लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं इसलिये यह कह सकता हूँ कि भविष्य में यथेच्छा-कारिता प्रणाली के लिये हमारे देश में कोई स्थायी स्थान नहीं हो सकता है। मैं इस बात पर भी ज़ोर दे सकता हूँ कि उनका भी कोई सम्मान नहीं किया जा सकता है जिनकी कि मनोवृत्ति पूंजीवादी है, जिनके हृदय में जनता का हित नहीं है और जो चिरकाल तक जनता का शोषण करते रहना और उसी के भरोसे जीवित रहना चाहते हैं।

कुछ व्यक्तियों ने इस अध्यादेश को जारी करने के लिये सरकार की आलोचना की है और इसको अलोकतंत्रात्मक कार्य बताया है। परन्तु मेरे विचार से, जनता के विशाल बहुमत के हित में जारी किया गया यह अध्यादेश एक प्रकार से लोकतन्त्रात्मक ही है और इसलिये यह तर्क प्रस्तुत करना, कि यह अलोकतन्त्रात्मक कार्य है वास्तव में अलोकतंत्रात्मक मनोवृत्ति है और तानाशाही मनोवृत्ति का परिचायक है। इस अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता इसीलिये अनुभव की गई क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई थी जब कि बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वीरस्वामी]

लेना सरकार के लिये अनिवार्य हो गया था। यदि सरकार अध्यादेश न जारी करती और बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कोई विधान संसद् के सामने लाती तो इस बीच इन कम्पनियों ने अपने धन और अन्य आस्तियों को हड़प लिया होता और जब तक सरकार इनका प्रबन्ध अपने हाथों में लेने की व्यवस्था करती तब तक इन कम्पनियों की स्थिति दिवालियों जैसी हो गई होती। इसलिये सरकार ने इस अध्यादेश को जारी कर के एक बड़ा ही उत्तम कार्य किया है।

वित्त मंत्री ने सरकारी प्रतिभूतियों की गड़बड़ी और गबन आदि के उदाहरण देकर अपने तर्कों की पुष्टि की है। इन समवायों का प्रबन्ध अत्यन्त ही अकुशल रहा है। उनके विरुद्ध यह शिकायत है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कार्य विस्तार नहीं किया था। मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि शहरी क्षेत्रों में रहने वालों का भी एक छोटा-सा ही भाग इन बीमा समवायों से लाभान्वित हो रहा है। मुझे आशा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनुसन्धान किया जायगा और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को समझा बुझा कर उन को बीमा पत्रों में रुपया लगाने के लिये प्रोत्साहित करेगी और उनमें यह विश्वास उत्पन्न कर देगी कि इन बीमा पत्रों में वह जो भी पूंजी लगायेंगे वह सुरक्षित रहेगी। बीमा समवायों के विरुद्ध सदा से ही यह शिकायत रही है कि वह दावों का भुगतान तुरन्त ही नहीं करते हैं, कानूनी दबाव डाला जाने पर ही भुगतान करती हैं।

जीवन बीमा समवायों के धन का उपयोग करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने कहा है कि इस का उपयोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये किया जायेगा। परन्तु मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इन समवायों के धन का उपयोग निर्धन जनता का कल्याण करने के लिये किया जाना चाहिये। यद्यपि हमारा लक्ष्य समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करना है, परन्तु फिर भी हमारी जनता अभी अत्यन्त पिछड़ी हुई है। उस के पास खाने को भोजन नहीं है, पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं, रहने के लिये मकान नहीं है। इसलिये मैं यह सुझाव दूँगा कि इस धन का उपयोग निर्धन जनता का कल्याण करने के लिये किया जाये। मेरा यह भी सुझाव है कि अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों से बीमा कराने के लिये कहा जाये। मैं समझता हूँ कि यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह जनता को बचत करने और बीमा कराने के लिये प्रोत्साहन दे जिस से कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वित के लिये करोड़ों रुपये प्राप्त हो सकें।

पूंजीवादी मनोवृत्ति वाले और इन बीमा समवायों को चलाने वाले व्यक्तिपों द्वारा एक यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकारी नियंत्रण में चलने वाले जीवन बीमा समवाय असफल रहेंगे, क्योंकि पदाधिकारी उचित प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे और अभिकर्त्तागण भी उस उत्साह के साथ कार्य नहीं करेंगे जिससे कि वह अब तक करते आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं इन समवायों के प्रभारी पदाधिकारियों से यह अपील करूँगा कि वह पूर्ण अभिरुचि के साथ अपना कार्य करें, हृदय से अपना कार्य करें। वह जनता को यह दिखा दें कि यह पदाधिकारीगण उन बीमा-व्यवसायियों की अपेक्षा, जो यह दावा करते हैं कि वह इन संस्थाओं को जन-कल्याण के लिये चलाते आ रहे हैं, कहीं अधिक कुशल और ईमानदार हैं और अधिक अभिरुचि के साथ कार्य कर सकते हैं। यदि यह पदाधिकारी इन संस्थाओं को अधिक कुशलता, ईमानदारी और अभिरुचि से चलाने में सरकार के साथ सहयोग करें, तो हम प्रायः सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकेंगे और थोड़े समय के भीतर ही अपने देश में एक ऐसे वास्तविक समाजवादी राज्य की स्थापना कर सकेंगे जिसमें इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष सुखी और समृद्ध हो सकें।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : ग्यारह परिवार—न्यू इंडिया और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के नियन्ता टाटा; नेशनल इंश्योरैंस, नेशनल फ़ायर एण्ड जनरल और हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक के दियम; रूबी जनरल, न्यू एशियाटिक, बाम्बे लाइफ़ और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नियन्ता

†मूल अंग्रेजी में।

नियन्ता बिड़ला; जनरल इंश्योरैंस के और हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल बैंक के नियन्ता जालन; हरक्युलिस, स्टैण्डर्ड जनरल और हिन्द बैंक के नियन्ता गोयनका; यूनाइटेड इंडिया लाइफ़, यूनाइटेड इंडिया फ़ायर एण्ड जनरल और न्यू गार्जियन एण्ड इंडियन ओवरसीज़ बैंक के चेट्टियार; कलकत्ता इंश्योरेंस और यूनाइटेड बैंक आफ़ इंडिया के नियन्ता बी० एन० चतुर्वेदी ब्राह्मण –वह ब्राह्मण जो अपने देश-वासियों के कृपा-दान पर निर्भर थे –न्यू ग्रेट और बैंक आफ़ बड़ौदा के किला चन्द; जयभारत के मार्फ़त लाल; ऑल इंडिया जनरल और दि बैंक ऑफ़ जयपुर के पोद्दार; भारत इंश्योरैंस और पंजाब नेशनल बैंक के डालमिया और श्री सोमानी—देश के जीवन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। यह ग्यारह परिवार भारत के इन चालीस लाख व्यक्तियों के भाग्य पर नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्होंने अपना जीवन बीमा कराया हुआ है। इन ४० लाख के स्थान पर हम वास्तव में इन चार करोड़ व्यक्तियों को ले सकते हैं जो अपना जीवन बीमा करायेंगे। इस सम्बन्ध में हमारा क्या होने जा रहा है और क्या हो गया है यह देख लिया गया है। पिछली बैंचों पर बैठने वाला, मैं निरन्तर माननीय वित्त मंत्री की कुछ नीतियों और कार्यों की निर्मम आलोचना करता रहा हूँ। परन्तु 'यह स्वीकार न करना, कि अपने मंत्रि-काल में उन्होंने यही अर्थात् बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण सर्वोत्तम कार्य किया है, वास्तव में कपट होगा। आलोचक चाहे कुछ भी कहें, हमारे समाज कल्याणकारी राज्य की दिशा में यह एक महान कार्य के रूप में माना जायेगा।

हम महात्मा गांधी की ही शरण लें। कठिनाई, अनिश्चय और गड़बड़ी के प्रत्येक अवसर पर प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन के लिये हम सदैव अपने स्वामी की ओर ही देखते हैं। उन्होंने विश्व के प्रत्येक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ मत प्रकट किया है। बीमा समवायों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था :

> "जहाँ तक हमारे बीमा समवायों का सम्बन्ध है, इनसे ग़रीबों का कोई हित नहीं होता है। मैंने पुनर्निर्माण की जो परिकल्पना की है, उसमें वह क्या भाग ले सकते हैं ?"

बीमा समवायों के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के यह विचार हैं। हमें इनका अनुसरण करना है, उन व्यवसायियों का नहीं जो देश की चालीस लाख जनता के भाग्य पर नियंत्रण करते रहे हैं। दावों का निपटारा करने के सम्बन्ध में बीमा समावायों ने बड़ी धांधली मचा रखी थी। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार का नया राष्ट्रीयकरण विभाग इनके ही पथ चिन्हों पर नहीं चलेगा और गरीब विधवाओं, अनाथों, अपांगों, आदि के दावों का निबटारा करने में तीन मास के स्थान पर तीन या पाँच वर्ष नहीं लगा देगा। यह शिक्षा भली प्रकार से ग्रहण की जानी चाहिये और यह बड़े ही खेद का विषय है कि उन्होंने जो अध्यादेश लागू किया है उसमें केवल शीर्षस्थ पदाधिकारियों में ही परिवर्तन किया गया है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई वैर नहीं है, परन्तु बीमा समवायों के ही पदाधिकारियों को एक समवाय से दूसरे में भेज देने में कोई लाभ नहीं है।

†**श्री एम० सी० शाह** : उन को कुछ समय के लिये ही संरक्षक बनाया गया है। जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने की दृष्टि से ही उन्होंने प्रबन्ध कार्य अपने हाथों में लिया है और जैसे ही हम विधेयक के उपबन्धों को अन्तिम स्वरूप प्रदान कर देंगे और उसे संसद् द्वारा पारित कर दिया जायेगा, वैसे ही यह बात नहीं रहेगी। प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का यह अस्थायी पहलू है और यह केवल संरक्षक मात्र हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : परन्तु यह पहला कदम ही ग़लत उठाया गया है। इस से एक समवाय के झगड़े, वैर भाव दूसरे समवाय को स्थानांतरित हो जायेंगे। मैं यह बात इसी कारण से कहता हूँ कि सरकारी पदाधिकारियों और यहाँ तक कि मंत्रियों तक में विरोधी भावनायें रहती है और

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जोकीम आल्वा]

यह विरोधी भावनायें किसी भी समवाय को नष्ट-भ्रष्ट कर सकती है। इसीलिये मैंने कहा है कि आप एक समवाय की टोपी दूसरे समवाय को पहनाये दे रहे हैं।

मैं बीमा-अधिनियम की कार्यान्वित का एक अत्यन्त लज्जास्पद उदाहरण देता हूँ। भारत सरकार के मुख्य कल्याण-पदाधिकारी श्री आर० एस० निम्बकार की आपरेशन की मेज पर मृत्यु हो गई। ७००० रुपये की एक छोटी सी राशि उनकी तीन पुत्रियों को नहीं दी गई। मैंने अपील की और बीमा समवाय से विनती की। परन्तु क्या उत्तर मिला ? बीमा समवाय ने कहा कि दावे में रोग विशेष का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया था। मैं कहता हूँ कि क्या यह बात उनके बच्चों को वह रुपया दिये जाने से रोक सकती है ? परन्तु बीमा समवाय ने मेरी अपीलें ठुकरा दीं, क्यों कि उसके मन में मानवीय सहानुभूति का नितांत अभाव था। वह भारत सरकार के एक कर्मचारी थे, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने उनकी पत्नी और बच्चों को क्या प्रतिकर दिया है ? मुझे ज्ञात नहीं कि ऐसे न जाने कितने ज्वलंत उदाहरण होंगे। आपके लिये यह बात ठीक हो सकती है क्योंकि आप बैंक में रखे लाखों रुपयों के स्वामी हैं और इसीलिये आप दूसरों की कठिनाइयों को नहीं समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के सैंकड़ों मामले होंते होंगे। जब मैं, जो समवाय के सभापति और महाप्रबन्धक पर थोड़ा बहुत प्रभाव भी डाल सकता था, श्री निम्बकार के आश्रितों के लिये कुछ नहीं करा सका तो फिर अन्य व्यक्तियों की विधवाओं और पुत्र-पुत्रियों की न जाने क्या दशा होती होगी ? मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस मामले में व्यक्तिगत अभिरुचि लें और यह व्यवस्था करें कि श्री निम्बकार की पत्नी के पास चेक भेज दिया जाये। मैं इसीलिये यह बात कहता हूँ कि यदि सरकारी शासन यंत्र ही मानवीय हितों से प्रभावित नहीं होगा तो समस्त बीमा व्यवसाय ही नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा।

डाक-घरों के बीमा व्यवसाय को तो ब्रिटेन द्वारा असफल मान ही लिया गया है। मैं समझता हूँ कि हम को अन्य देशों के अनुभवों से भी लाभ उठाना चाहिये। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि ऐसे पदाधिकारियों को ही नियुक्त किया जाये जो मानवीय सहानुभूति से प्रभावित हों और जो वैधानिक और प्रविधिक बारीकियों के चक्कर में ही इतने न पड़ जायें कि मानवीय मान्यताओं को ही भुला दें। राष्ट्रीयकृत बीमा व्यवसाय की नई संहिता को मानवीय संहिता होना चाहिये।

एक बात और है। बीमा कराने वाले व्यक्ति समवायों से जो ऋण लेते हैं उन पर अधिक व्याज नहीं लिया जाना चाहिये। इस लिये सरकार को व्याज की दर घटा देनी चाहिये।

१५–२० हज़ार से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक व्यक्ति के लिये बीमा कराना अनिवार्य होना चाहिये। जब तक सरकार यह लक्ष्य अपने सामने नहीं रखती है तब तक राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा व्यवसाय असफल ही रहेगा।

हमें महिला कार्यकर्त्ताओं की सेवायें भी प्राप्त करनी चाहियें। पति अथवा मुख्य साझेदार की मृत्यु हो जाने पर विधवाओं और बच्चों के लिये जीवन बीमा का बहुत मूल्य हो जाता है। इसलिये स्त्रियों को अच्छे वेतन देकर बड़ी संख्या में इस राष्ट्रीयकृत उपक्रम के लिये भरती किया जा सकता है, ऐसा करने से बीमाशुदा व्यक्तियों की विधवाओं और बच्चों को बीमा योजनाओं को सफल बनाने के लिये प्रेरणा मिलेगी।

मैं चाहता हूँ कि सरकार बीमा व्यवसाय को मानवीय बनाये ताकि एसा न हो कि यदि बीमा शुदा व्यक्ति दो वर्ष बाद धन न दे सके तो ५० या ७० प्रतिशत राशि काट कर उसे केवल ३० प्रतिशत ही दिया जाये। सरकार को उन लोगों की सूची देखनी चाहिये, जिन के जीवन बीमा पत्र इस तरह व्यपगत हो गये हैं और उन्हें पुनः बीमा कराने का अवसर दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हमें बीमा कर्मचारियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। नये राष्ट्रीकृत उपक्रमों को कम्पनियों के कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखना चाहिये। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जीवन बीमा कम्पनियों के लाखों कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाये। न उन की सेवाएं समाप्त की जायें, न उन के उपदान और निवृत्तिवेतन कम किये जायें और न उन की देय छुट्टी को बन्द किया जाये।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूँ कि इस के बाद अन्य विधेयक भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

उस दिन मैंने इस सदन में दो उद्योगपतियों के भाषण सुने थे। उन दोनों ने कहा था कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण पंचवर्षीय योजना के प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को जितनी प्रतिशतता दी जा रही थी, वह अब भी मिलती रहेगी। इस लिये उन्होंने पूछा था कि सरकार को इससे क्या लाभ होगा? मैं इस का उत्तर देता हूं। उन का विचार है कि गैर-सरकारी क्षेत्र उन उद्योगपतियों और व्यापारियों तक सीमित है, जो इन विनियोगों से लाभ उठाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है और जिन्हें इस की आवश्यकता है। किन्तु बीमा कम्पनियों का सब धन थोड़े से उद्योग-पतियों और उन के सम्बन्धियों की जेबों में चला जाता है। फिर उन का कहना है कि उन संस्थाओं में जिनका स्वामित्व या प्रबन्ध सरकार के हाथ में है, भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। मुझे ऐसे भ्रष्टाचार की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं है। किन्तु मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वह संस्था जिस की कार्यवाहियों की चर्चा इस सदन में अनेक बार हुई है, औद्योगिक वित्त निगम है। इस संस्था का अध्यक्ष कौन था? क्या वह एक बड़ा व्यापारी नहीं था? उन का कहना है कि यदि आप बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, तो कुछ तो गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथ में रहने दें, ताकि कुछ प्रतियोगिता रहे। मैं समझता हूं कि एक ही रास्ता हो सकता है। इसका राष्ट्रीयकरण करना या तो देश के हित में आवश्यक है या नहीं है; तीसरा कोई रास्ता नहीं है।

बीमा कम्पनियों के हाथों में करोड़ों रुपया आता है और उन्हें इस धन को उस तरह खर्च करने का अधिकार नहीं है जिस तरह कि आप करते हैं। आप कहते हैं कि विधि द्वारा बीमा व्यवसाय पर अधिक नियन्त्रण किया जा सकता है। विधियां बनाई गई हैं और बीमा अधिनियम में कई बार संशोधन किये गये हैं। किन्तु हमने देखा है कि इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर वे पूछते हैं कि यदि एक दो कम्पनियां खराब हैं, तो सब कम्पनियों को क्यों बदनाम किया जाये। मैं उन से कहता हूं कि 'एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है'। वित्त मंत्री ने बतलाया है कि उन्हें अध्यादेश क्यों प्रख्यापित करना पड़ा? लोगों के धन को नष्ट होने से बचाने के लिये ऐसा करना आवश्यक था। वे कहते हैं कि यह कार्य लोकतन्त्रात्मक नहीं है। कैसे? यह संविधान के अनुकूल है। मैं चुनौती देता हूं कि सदन में १० व्यक्ति भी ऐसे नहीं होंगे जो यह कहें कि इस प्रकार का अध्यादेश न्यायोचित नहीं था।

अतः मैं सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि वह अब कुछ लोहे और फ़ौलाद के कारखाने स्थापित करने वाली है। सरकार को इनमें ऐसे व्यक्ति नियुक्त करने चाहिये जो गैर-सरकारी क्षेत्र के हितों से प्रभावित न हों। कहा जाता है कि पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार है। किन्तु उन्हें भ्रष्टाचार सिखाने वाले कौन हैं? सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद उन को बड़े-बड़े समवायों में नियुक्त कर लिया जाता है। यह उन के प्रलोभन का एक तरीका है। और तरीके भी हैं। मैं कहता हूं कि एक भी बीमा कम्पनी गैर-सरकारी क्षेत्र में नहीं रहने दी जानी चाहिये। सब का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

उनका कहना है कि सरकार बीमे को लोक-प्रिय नहीं बना सकेगी। मैं मानता हूं कि सरकार वे तरीके नहीं अपना सकेगी जिन को कि ये लोग अपनाते हैं और जो अवैध हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि वह सीधे तरीके निकाले। स्वयं-बीमा करने वालों को अवश्य कुछ रियायत देनी चाहिये। उन्हें पहली और उसके बाद की बीमें की किस्तों में कुछ छूट मिलनी चाहिये। यदि अभिकर्ता ग्रामों में जाने के लिये तैयार न हों, तो हमें ग्राम पंचायतों और सहकारी संस्थाओं की सेवाओं से लाभ उठाना चाहिये। किन्तु हमें बीमे की किस्तों की राशि कम कर इसे अधिक से अधिक सस्ता बनाना चाहिये।

मुझे हर्ष है कि हमें वित्त मंत्री ने बताया है कि एक अच्छी कम्पनी कैसे काम करती है। हमें कम्पनियों के काम को इस कसौटी पर रखना चाहिये। वास्तव में बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीय-करण १९४६ में ही हो जाना चाहिये था, जब कि हम ने इसके लिये मांग की थी।

हमारे औद्योगिक समवायों के रोष का एक कारण यह है। पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने इम्पी-रियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव किया था। इस वर्ष वह जीवन बीमा को ले रहे हैं। इन समवायों को डर है कि न जाने अगली बारी किस की होगी।

अन्त में मैं वित्त मंत्री और उन के अन्य पदाधिकारियों से सावधानी और सहानुभूति से काम करने की प्रार्थना करूंगा। ऐसा किये बिना बीमे के काम में सफलता नहीं मिल सकती है। मेरा एक सुझाव यह भी है कि वित्त मंत्री पूंजीपतियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिये किसी पूंजी पति की सेवा से ही लाभ उठा सकते हैं। मुझे आशा कि ऐसा करने से बहुत से पदाधिकारियों का श्रम बच जायेगा और उन्हें इन कम्पनियों के काम के बारे में अधिक जानकारी भी मिल सकेगी।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं बैंकों और बीमा व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं। मैं समझता हूं कि यह पग ठीक दिशा में उठाया गया है।

मैं एक दो बातों की पुनरावृत्ति करता हूं। डर प्रकट किया गया है कि सरकारी विभाग अपने कर्त्तव्यों का पालन अच्छी तरह नहीं करते हैं। यह एक प्रकार की चुनौती है। हम इस बात पर सहमत हैं कि उन विभागों के विरुद्ध जिन्होंने उपक्रमों के भार को सम्भाला है, शिकायतें हुई हैं। अभी अभी भाखड़ा बांध के एक इंजीनियर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप का उल्लेख किया गया है। ऐसे मामलों की ओर जब मंत्रियों का ध्यान दिलाया जाये, तो उन्हें बुरा नहीं मनाना चाहिये। इन बातों को दूर किया जाना चाहिये। अन्य मित्रों के साथ मैं भी वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह काम उन लोगों को सौंपा जाय, जो वास्तव में इस को अच्छी तरह कर सकें।

यह कारबार अभी तक नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जाये, क्योंकि ग्रामीण जनता को इस की अधिक आवश्यकता है दूसरी बात यह है कि इस कारबार को अधिक सस्ता बनाया जाये और यह व्यय अनुपात को कम करने से ही हो सकता है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कम्पनियों ने अपना व्यय अनुपात बहुत बढ़ा दिया है। न्यू इंडिया और ओरियंटल के आंकड़े देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। बीम नियन्त्रक को यह देखना चाहिये था कि यह अतिरिक्त व्यय किस तरह हुआ है लाभ तो निस्संदेह कम कर दिये गये थे किन्तु व्यय बढ़ा दिये गये थे। १९५४ में न्यू इंडिया का व्यय अनुपात ९·१ था और ओरियन्टल का ११·७। सरकार के लिये १२ के लगभग व्यय अनुपात रखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मुझे भय है कि सरकार इस से बहुत अधिक व्यय अनुपात रखना चाहती है। इसे कम करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से सरकार और बीमापत्र-धारियों दोनों के लिये कुछ रुपया बच सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

एक और बात जिस की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि परिपक्व बीमा पत्रों का भुगतान करने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जिला स्तर पर कार्यालय खोले जायें, जिस से कि पदाधिकारी परिपक्व बीमा पत्रों के भुगतान के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही कर सकें। इस से जनता में इस व्यवसाय के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

वित्त मंत्री ने बताया था कि बहुत से समवायों का प्रबन्ध ठीक नहीं था, इसलिये उन्हें ले लेना उचित समझा गया था। मैं समझता हूं कि इसके अतिरिक्त और भी कारण होंगे। जहां तक इन समवायों का सम्बन्ध है, हमें इन के बीमा पत्रों के व्यपगत अनुपात को देख कर बहुत आश्चर्य होता है। हम अनुभव करते हैं कि इस तरह लोगों का बहुत-सा धन नष्ट हो रहा है और यह सब धन बीमा समवायों के हाथों में जा रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ओरियन्टल के आंकड़ों से हिसाब लगा कर यदि देखा जाये, तो मालूम होगा कि उस में १०० करोड़ रुपये व्यपगत हुए हैं और न्यू इंडिया में लगभग ५० करोड़ रुपये। इस से मालूम होता है कि कितने धन का अपव्यय हो रहा है। यदि यह धन कुछ लोगों की जेबों में जाने की बजाय जनता के हाथों में जाये या व्यपगत होने वाली राशि सरकारी खजाने में जाये, तो यह समाजवाद की दिशा में एक सुन्दर पग होगा और वित्त मंत्री इसे रचनात्मक कार्यों के लिये प्रयोग कर सकेंगे अतः मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि (१) इस कारबार को सस्ता बनाया जाये, (२) इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जाये और, (३) बीमा कराने वालों को भुगतान शीघ्रता से किया जाये, ताकि उन के मन में विश्वास पैदा हो। इस समय बीमा अभिकर्ता को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और वह अपना खर्च भी पूरा नहीं कर पाता है। यदि इन सुझावों को क्रियान्वित किया जाये, तो न केवल उनका स्तर और सम्मान ही बढ़ेगा, बल्कि धन भी नष्ट होने से बच जायेगा, और बहुत सी बीमा कम्पनियां भी बन्द होने से बच जायेंगी।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरे प्रस्ताव को जो सामान्य समर्थन प्राप्त हुआ है और जिसमें सरकार की आलोचना करनेवालों का समर्थन भी शामिल है उससे मुझे अत्यन्त प्रोत्साहन मिला है। श्री तुलसीदास और कुछ अन्य व्यक्तियों की, जिनकी यह धारणा है कि इस विधान से सरकार और विशेष रूप से मैं उनकी नजरों में गिर रहे हैं, भावनाओं पर मैंने विचार किया है। मैं उन्हें केवल यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह विधि पारस्परिक है। मैं आशा करता हूं कि जबतक हम इसे समाप्त करेंगे तब तक वे यह देखेंगे कि वे स्वयं अपनी ही नज़रों में गिर गये हैं। किन्तु मैं श्री मोहन लाल सक्सेना के इस कथन से, कि जो व्यक्ति अपना कर्त्तव्य करते हैं उन्हें लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये, पूर्ण रूप से सहमत हूं और यह बात वित्त मंत्री के बारे में विशेष रूप से सत्य है।

बीमा के राष्ट्रीयकरण के इस विषय पर विचार करने के ढंग का उल्लेख किया गया था। जिन्होंने इस विचार का विरोध किया है उन की ओर से यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि यह एक न्यायिक मामला है जिसमें हमें कोई निर्णय दे कर अपराध को सिद्ध करना है। वास्तव में, हम जो कुछ निश्चय करने वाले हैं उससे यह बात कुछ भिन्न है। मुझे यह कहना चाहिये कि विगत कई दशकों से राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में विचार करने के भिन्न तरीके रहे हैं। इन वित्त संस्थाओं में से कुछ के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में कोई व्यक्ति है अथवा नहीं यह बात उसकी विचारधारा पर—वह प्रगतिशील होने के पक्ष में है या नहीं—निर्भर करती है। इस विषय पर जो लोग अधिकार के साथ लिख सकते हैं उनकी पुस्तकों में गुण और दोष दोनों की चर्चा की गई है। इसलिये किसी व्यक्ति को इस विशिष्ट मामले में निजी क्षेत्र के कार्यकरण के बारे में केवल तथ्यों की खोज तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये यद्यपि यह कार्य भी पर्याप्त रूप से इससे सम्बन्धित है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सी० डी० देशमुख]

भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति का, जिसे कावसजी जांहगीर समिति कहा जाता है, उल्लेख किया गया था। मेरे पास उसके प्रतिवेदन की प्रति है।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : वह तो मैं आपको दे सकता था।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मुझे पूर्ण विश्वास था कि उक्त प्रति हमारे पास थी और यह जानने के लिये कि जो अधिनियम इस समय लागू है उसमें कितनी सिफारिशें समाविष्ट की गई हैं, हमने उक्त प्रतिवेदन का अध्ययन किया। मुझे ज्ञात हुआ है कि विधेयक जब पारित हुआ था तब विधानमंडल के तत्कालीन सदस्यों को प्रतिवेदन की प्रतियां परिचालित की गई थीं। उसमें उन्होंने इन बातों का उल्लेख किया है : अंशों के लिये अत्यधिक मूल्य देकर बीमा समवायों में हितों का अर्जन, बीमा समवायों की जीवन निधियों का प्रहस्तन, स्वयं पूंजी विनियोजकों को अथवा उनके द्वारा नियुक्त समवाय के अधिकारियों को बड़ी उपलब्धियों का भुगतान; मौजूदा व्यवस्थापन को उनके अधिकारों के परित्याग के लिये क्षतिपूर्ति का भुगतान; बैंकों और बीमा समवायों में सहयोग, जिसका उल्लेख श्री अशोक मेहता ने किया था; मतदान के अधिकार और बीमे के विभिन्न वर्गों की बीमा निधियों का पृथक्करण। अंत में उन्होंने कहा कि :

> "भारत में जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले समवायों में से कुछ समवायों की जो स्थिति है वही स्थिति अमरीका में इस शताब्दि के पहले कुछ वर्षों में मौजूद थी। हम विश्व से लगभग पचास वर्ष पीछे हैं। अमरीका में १९०५ की जांच के बाद क्रांतिकारी कार्यवाही की गई थी। १९०६ में वहां एक प्रतिकारक विधान ने एक प्रमाणित संहिता बनाई जिसका कि अनुकरण कई अन्य राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया।"

उनका निष्कर्ष यह था कि अमरीका में भी, जहां जनमत प्रभावशाली है, १९०६ में वैधानिक उपाय लागू किये गये थे। इसके बाद वे कहते हैं:

> "इस देश में, जहां जनमत अमरीका के समान न तो विकसित है और न ही सुसंगठित है, यह और भी आवश्यक है।"

इसके बाद उन्होंने सिफारिशें की हैं। सिफारिशों की संख्या काफी अधिक है और मैं देखता हूं कि केवल दो छोटी-छोटी सिफारिशों को ही अधिनियम में समाविष्ट नहीं किया गया है। यह स्थिति १९४९-५० में थी। इसके बाद योजना आयोग की नियुक्ति हुई। योजना आयोग ने कहा है : प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में देश की प्रत्यय व्यवस्था के संगठन पर विचार करते समय उन्होंने समग्र अर्थव्यवस्था द्वारा कल्पित विकास की योजना, महाजनी की व्यवस्था और वास्तव में वित्त की समग्र व्यवस्था में, जिसमें स्टाक एक्सचेंज और विनियोजन से सम्बन्धित अन्य संस्थायें भी शामिल हैं, अधिकाधिक समाविष्ट किये जाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। उसने कहा कि ऐसी स्थिति में ही बचत करने का प्राधिकार देने की कार्यवाही और उन्हें सर्वोत्तम लाभ के लिये काम में लाने की रीति सामाजिक दृष्टि से उद्देश्यपूर्ण हो सकती है। जिस दिन अध्यादेश जारी किया गया था उसी दिन शाम को मैंने एक प्रसारण में कहा था कि :

> "ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पृथक् महाजनी और ऋण दिये जाने की सुविधाओं का सुनिश्चय करने के प्रमुख उद्देश्य से ही इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया का विगत वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया था। जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण जनता की बचत के अधिक प्रभावशाली उपयोग की दिशा में एक और कदम है।"

जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि हमने इतना ही करने का निश्चय किया है। कुछ ऐसे भूतपूर्व राज्य बैंकों का जिनके विकास के लिये भूतपूर्व देशी राज्यों का सहयोग अथवा बढ़ावा उत्तरदायी था कार्यभार सम्हालने का प्रयत्न किया गया है। ऐसे बैंक लगभग नौ हैं और हम जो शर्तें निर्धारित

---

†मूल अंग्रेजी में।

करने वाले हैं उनका पालन न करने वाले बैंक संभवत: एक या दो ही होंगें। किन्तु उस सम्बन्ध में जो हमारी प्रस्थापनायें हैं वे यथासमय लोक-सभा के समक्ष आयेंगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये अथवा नहीं इस प्रश्न पर इस समय चर्चा करना आवश्यक नहीं है, किन्तु इस विषय पर हमारे जो विचार हैं उन्हें बता देना मैंने वांछनीय समझा।

बीमे के बारे में, जो लोग राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं उन्होंने भी यह प्रश्न उठाया है कि सरकार द्वारा यह स्वीकार किया जाये कि अधिनियम के जरिये जीवन बीमा की गतिविधियों को नियमित करने में सरकार असफल रही है। एक दृष्टि से हमने इसे स्वीकार भी किया है। हमने यह स्वीकार किया है कि हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसे केवल विनियामक उपायों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैं "नकारात्मक" शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता हूं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है श्री अशोक मेहता को उन के प्रति कुछ अरुचि है। मेरे कहने का अर्थ यह था। "आप यह बात नहीं करेंगे" और "आप यह बात करेंगे" ये दो अलग बातें हैं। जो कुछ हम करने का प्रयास कर रहे हैं वह कार्य हैं जिन को कि बीमा समवाय पहले नहीं कर पाये हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, प्रीमियम की दरों का कम किया जाना और आधी दर्जन अन्य लाभकारी बातें जिनका उल्लेख अंतिम वक्ता ने किया है। हम निश्चित रूप से इन सभी को करने की आशा करते हैं।

१९५० के संशोधन अधिनियम को लीजिये। अधिनियम की धारा ६-क द्वारा किसी बीमा समवाय में किसी एक व्यक्ति के अधिकतम अंशों की संख्या को समिति किया गया है और उसे, बीमा समवायों पर नियंत्रण प्राप्त किये जाने अर्थात् किसी व्यक्ति विशेष के प्रभुत्व को रोकने के हेतु अधिनियमित किया गया था। किन्तु हम देखते हैं कि इस धारा की चंगुल से ऐसे बीमा समवाय भी बचे नहीं हैं जिनका वित्त-प्रबन्धक एक व्यक्ति ही है। उन्होंने अपने हितों को बेनामी और फर्जी हस्तान्तरणों से कायम रखा है और इस प्रश्न को हम अलग से हल करने के लिये प्रयत्नशील हैं। उनका प्रभुत्व उसी प्रकार कायम है। अब प्रश्न आता है गठजोड़ का। धारा २७-क किसी संयुक्त-स्कन्ध समवाय के अंशों में किये जाने वाले अधिकतम विनियोग को सीमित करती है। उन्हीं वित्तप्रबन्धकों का इस सम्बन्ध में क्या जवाब है? उसका अर्थ उनके लिये उनकी बुद्धि का थोड़ा और उपयोग ही हुआ है, जो कि उन के पास प्रचुर मात्रा में है। किसी एक समवाय में विनियोजन के स्थान पर, एक ही गुट के अंतर्गत कई समवायों में पूंजी विनियोजन किया गया है। इसलिये विनियोग सम्बन्धी हमारे एक नियम—विनियोग के व्यपवर्तन, का अधिकाधिक उल्लंघन किया गया है यद्यपि वह इतना स्पष्ट नहीं है। इसके बाद प्रश्न आता है, उन व्यक्तियों को, जो कि प्रबंध के प्रभार में हैं, अत्यधिक वेतन दिये जाने का। यह दोष अब भी चला आ रहा है। यदि समवाय का नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को प्रबन्ध-संचालक बनने से रोक दिया जाता है तो वह सदा ही किसी कल्पित व्यक्ति को खोज निकालता है; और कई मामलों में तो कर्मचारियों को अधिक वेतन तो दिया जाता है किन्तु उन्हें वेतन का कुछ भाग वापिस दे देना पड़ता है।

मैंने अपने भाषण में बताया कि १९५१ में अंतिम विधान के अधिनियमित किये जाने के बाद से ही हमने इस प्रश्न की समीक्षा करना आरंभ कर दी थी। अधिनियम के केवल एक वर्ष जारी रहने पर जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसको दृष्टि में रखते हुये स्थिति की जांच करने के लिये मैंने अपने मंत्रालय से कहा, और इस तरह इस कार्य को आरंभ किया। बीमा विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से ही यह स्पष्ट हो गया कि जहां तक जीवन बीमा का प्रश्न था, राष्ट्रीयकरण एक व्यवहार्य प्रस्थापना थी और उसे मूर्त रूप दिया जा सकता था। किन्तु उस समय हमने यह सोचा कि समग्र रूप से राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर यदि हम निजी उद्योग के साथ स्पर्धा करने वाले किसी सरकारी निगम से श्रीगणेश करें तो अधिक लाभदायक होगा। माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार अब व्यक्त किये गये हैं उन पर हमने १९५१ में ही विचार कर लिया था। हमारा विचार था कि ऐसा एक निगम उन बड़े समवायों में से कुछ समवायों से

[श्री सी० डी० देशमुख]

बनाया जा सकता था जिनके लिये बीमा अधिनियम की धारा ५२-क के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त किये गये थे। लोक-सभा को इस बात का स्मरण होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कई समवाय हमारे प्रशासन के अंतर्गत आये हैं। इसलिये इस आधार पर हमने एक विस्तृत योजना बनाई, किन्तु स्वयं बीमा अधिनियम की धारा ५२-क की वैधता के बारे सर्वोच्च न्यायालय में निलम्बित मुकदमेबाजी के फलस्वरूप हमें इस प्रस्थापना को उठा रखना पड़ा था। उक्त धारा सरकार को, बीमा समवायों का प्रबन्ध अपने हाथों में लेने का अधिकार प्रदान करती है। शोलापुर मिल्स, समवायों की प्रबन्ध व्यवस्था, क्षतिपूर्ति के भुगतान, यहां तक कि उनके सम्बन्ध में भुगतान, जिनका अर्जन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये उस अर्थ में नहीं किया गया था जो कि सार्वजनिक प्रयोजन समझा जाता है और जो कदाचित् संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था, इत्यादि के सम्बन्ध में हुई मुकदमेबाजी का आप को स्मरण होगा। इसलिये बाद में जब हम इन संवैधानिक कठिनाइयों में उलझ गये, तो मैंने सुझाव दिया कि प्रशासकों के प्रशासनाधीन समवायों से एक छोटा केन्द्राधार राज्य निगम बनाने की कल्पना त्याग दी जाये और सामूहिक राष्ट्रीयकरण का प्रश्रय लिया जाये। ऐसा निर्णय करना संविधान की धारा ३१ में किये गये संशोधन के कारण, जोकि मेरा ख्याल है क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में है, अधिक सरल हो गया। इसलिये हमने पुनः इस कार्यवाही के गुणदोषों पर विचार किया और तुरन्त कार्यवाही करने का निश्चय किया। कार्यारम्भ करने के बाद, जैसा कि मैंने कल कहा था, हमने यह सोचा कि यदि हम अध्यादेश जारी करें तो वह बीमा पत्रधारियों के हित में होगा और उससे किसी की हानि भी नहीं होगी। क्योंकि यदि हम विधेयक भी प्रस्तुत करते तो भी जहां तक अंतिम सम्मोदन का प्रश्न है लोक-सभा सर्वथा अवाक्बद्ध ही रहती। विधेयक अध्यादेश से बढ़ कर कोई ऐसी प्रत्याभूति नहीं है जिसे कि लोक-सभा का सम्मोदन प्राप्त हो सके। संभव है इसी बीच ऐसी बातें हो जातीं जो कि बीमा पत्र धारियों के लिये हानिकारक सिद्ध होतीं।

मुझ से यह पूछा गया है कि इस विधान में और भविष्य में प्रस्तुत किये जाने मुख्य विधान में हमने सामान्य बीमा कार्य को सम्मिलित क्यों नहीं किया है। कल समाचारपत्रों में जो प्रकाशित हुआ है वह वही है जोकि मैंने अध्यादेश जारी होने के दिन शाम को रेडियो से भाषण प्रसारित करते हुए कहा था। इसलिये कोई नई बात कही नहीं गई थी। मैंने वहां जो कुछ पढ़ा उसको मैं यहां पुनः पढ़ कर सुनाता हूं :

> "मैं संक्षेप में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में सामान्य बीमा कार्य को सम्मिलित न करने का निर्णय हम ने क्यों किया है। जिस विचार ने हम को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह मूलभूत तथ्य यह है कि सामान्य बीमा निजी क्षेत्र का, व्यापार और उद्योग का एक अविभाज्य अंग है और वह वर्ष-प्रतिवर्ष के आधार पर कार्य करता है। इस व्यवसाय में भूल चूक के कारण हुई गलतियों का व्यक्तिगत नागरिकों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत जीवन बीमे का व्यक्तिगत नागरिक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, जिसकी जीवन पर्यन्त की बचत, जोकि आर्थिक विकास के लिये अत्यावश्यक है, नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों की मूर्खतावश हुई किसी भूल अथवा अपकरण के कारण अथवा दूरदर्शिता पूर्ण नीति के अभाव के कारण प्रभावित हो सकती है।"

इन्हीं बातों पर मैं विस्तारपूर्वक कहूंगा।

इस समय भी जब कि जीवन बीमा केवल नगरीय जनता तक और वह भी उसके किसी भाग तक ही सीमित है तब भी कुल जीवन निधि ३५० या ३७८ करोड़ रुपये के लगभग है। व्यापार में तेजी से होने वाली प्रत्याशित वृद्धि के कारण उपलब्ध होने वाली निधियां और भी अधिक होनी चाहिये। दूसरी ओर सामान्य बीमा कार्य से उपलब्ध निधियां कम हैं। ३१ दिसम्बर, १९५४ को कुल निधियां ५० करोड़ रुपये से भी कम की थी। इसलिये हमने यह सोचा कि जहां तक हमारी योजना में सामान्य सहायता का सम्बन्ध है, सामान्य बीमा कार्य हमें किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी।

इसके बाद निस्संदेह यह खतरा रहता है, जैसा कि जीवन बीमा के बारे में है, कि यदि बहुत बड़ी निधियां गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथों में रहीं तो संभव है कि उसका उपयोग सदैव समग्र देश के लिये न किया जाये। सामान्य बीमा व्यवसाय में यह बात किसी बड़ी हद तक नहीं है। इस के अतिरिक्त जो व्यक्ति जीवन बीमा कराते हैं उनमें से अधिकांश की आर्थिक स्थिति साधारण अथवा निम्न होती है। बीमापत्रों सम्बन्धी करार लम्बी अवधि के लिये किये जाते हैं। इसलिये किसी बीमापत्र धारी को, बिना किसी प्रकार की हानि वहन किये, बीमाकर्त्ता को बदलना संभव नहीं होता है। यदि उक्त व्यक्ति को यह प्रतीत हो भी जाये कि उसके लिये बीमापत्र को जारी रखना ठीक नहीं होगा फिर भी वह अपना विचार बदल नहीं सकता है। दूसरी ओर, सामान्य बीमा कार्य के बीमापत्रधारी व्यक्ति उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं और वे अपने हितों की देखभाल भली भांति कर सकते हैं, इस बात के प्रमाण भी उन्होंने दिये हैं। यद्यपि उन्हें यह भी एक लाभ प्राप्त रहता है कि चूंकि उनके बीमापत्र अल्प अवधि, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होती है, के लिये होते हैं, वे बिना किसी प्रकार की हानि उठाये बीमाकर्त्ता को बदल सकते हैं। इसलिये यह स्पष्ट है कि सामान्य बीमा कार्य के राष्ट्रीयकरण से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि सामान्य बीमा कार्य में बीमापत्रधारी एक ऐसे वर्ग के व्यक्ति होते हैं जिसे सरकार द्वारा संरक्षण अथवा सहायता दिये जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

साथ ही मैं यह भी कह दूं कि सामान्य बीमा व्यवसाय में भी प्रचलित भ्रष्टाचार की जानकारी हमें है, और यद्यपि हम श्री अशोक मेहता के परामर्श का पालन करेंगे और नियंत्रण कितना प्रभावशाली हो सकता है इस बात को देखेंगे तथापि यदि इस बारे में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ तो संभव है कि हमें इस प्रश्न की जांच पुनः करनी पड़े। फिलहाल, जैसा कि मैं कह चुका हूं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सामान्य बीमा कार्य के राष्ट्रीयकरण से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं यहां यह भी बता दूं कि हम अनायास ही तीन सामान्य बीमा समवायों के मालिक बन गये हैं जो कि जीवन बीमा समवायों के सहायक समवाय हैं। इस प्रकार हमें सामान्य जीवन बीमा व्यवसाय के कार्यकरण के सम्बन्ध भी कुछ अनुभव प्राप्त होता रहेगा। दूसरे शब्दों में हम उनका त्याग करना नहीं चाहते हैं।

अंत में, श्री एच० एन० मुकर्जी ने अपने शक्की स्वभाव के अनुसार यह सुझाव दिया है कि संभवतः इस बात के कारण, कि विदेशी बीमा समवाय सामान्य बीमा व्यवसाय का अधिकांश कार्य करती हैं, हम उस का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें यही आश्वासन दे सकता हूं कि इस प्रकार का संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा निर्णय, यद्यपि मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं आशा करता हूं कि मैं यह सिद्ध भी कर चुका हूं, प्रश्न के गुणावगुण पर विचार करने के उपरांत ही किया गया है।

सामान्य विषय, बीमाधारियों के हितों के संरक्षण के विषय में और प्रबन्ध के बारे में इतने प्रश्न उठाये गये हैं कि इस समय उन सब का उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा, सौभाग्य से राष्ट्रीयकरण के मूल विषय पर चर्चा करते समय और प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव करते समय तथा प्रवर समिति में और उसके बाद अन्य अवस्थाओं में इन में से कई प्रश्नों के पुनः उठाये जाने की संभावना है। इस समय एक ही बात ऐसी है कि जिसका सम्बन्ध वर्तमान विधान से है, और वह है वह उन्मुक्ति जो हम संसद् सदस्यों को देना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि यह बात अकस्मात् ही हमारे सामने लाई गई है। उसी स्थिति को विनियमित करने के लिये हम ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है जिस पर थोड़े समय बाद विचार किया जायेगा। सामान्य विधेयक में अन्तिम स्थिति क्या होनी चाहिये अथवा क्या होगी, इस बात का लोक-सभा को निर्णय करना होगा। एक बार हमें मंत्रणा दी गई कि क्योंकि हम एक निगम बनाना चाहते हैं—सम्भव है कि उसे लाभप्रद न समझा जाये, परन्तु उसी मान्य स्रोत के द्वारा यह दूसरा विचार भी व्यक्त किया गया है कि सम्भव है कि न्यायालय इसे लाभप्रद समझे। अन्ततः यह मामला संसद् के

[श्री सी० डी० देशमुख]

सामने रखा जायेगा और क्योंकि इसका सम्बन्ध संसद् सदस्यों से है इसलिये वही इस के एकमात्र निर्णायक होंगे। हमने इस बारे में कोई विशेष निश्चय नहीं किया है। उन्हें ही इसका निर्णय करना होगा।

प्रतिकर के अधिक होने के तथा ऐसी बातों के बारे में भी प्रश्न उठाये गये हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर कि मूल विधेयक पर चर्चा करते समय ही विचार किया जाना चाहिये। इसी प्रकार निगम एक दो या चार हों, और उनमें कहां तक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये, यह भी ऐसे मामले हैं जिन पर भी तभी विचार किया जाना चाहिये जब कि मूल विधेयक पर चर्चा की जाये।

अध्यादेश के बारे में यह आरोप लगाया गया है कि इसके जारी किये जाने से पूर्व एक प्रमुख बीमा समवाय के संचालक ने इस बारे में सरकार से जानकारी प्राप्त कर ली थी और समवाय के लेखे में कुछ गड़बड़ कर दी थी। यह आरोप श्री गुरुपादस्वामी द्वारा लगाया गया था। जहां तक मुझे पता है यह बात सही नहीं है। यदि वह मुझे समवाय और संचालक का नाम बतायें तो हम अधिक पूछताछ कर सकते हैं।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : न्यू इंडिया।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं पता लगाऊंगा कि क्या न्यू इंडिया के संचालक ने किसी से यह जानकारी प्राप्त की थी। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुये कि न्यू इंडिया के प्रति पक्षपात करने का कोई कारण नहीं है और मैंने उस दिन के अपने प्रसारण के शीर्षक की घोषणा भी नहीं की थी इसलिये मुझे सन्देह है कि वित्त मंत्रालय के किसी व्यक्ति ने उन्हें यह बताया हो कि अध्यादेश जारी किया जाने को था।

एक और वक्तव्य में कहा गया है कि नार्वे, डेनमार्क और मैक्सीको जैसे देशों ने, जो राष्ट्रीयकरण के बारे में सोच रहे थे, इसके विपरीत निर्णय किया था। श्री अशोक मेहता ने कई देशों के उदाहरण दिये हैं जहां राष्ट्रीयकृत बीमा समवाय अच्छी प्रकार चल रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूं और मैंने प्रसारित किये गये अपने भाषण में भी यह कहा था कि जहां कहीं भी गम्भीरता पूर्वक राष्ट्रीयकरण किया गया था वहां इसे सफलता मिली थी।

ब्रिटेन के गैर-सरकारी क्षेत्र में भी जीवन बीमे का कार्य बड़ी अच्छी प्रकार चल रहा है। और सब से बड़ी बात यह है कि यह देश के लिये विदेशी विनिमय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इस से मुझे विदेशी व्यापार का ध्यान आ जाता है। विदेशी व्यापार के विषय में हमारा क्या इरादा है? हमारे लिये यह विदेशी विनिमय का कोई अच्छा स्रोत नहीं है, यद्यपि हम जानते हैं कि केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अफ्रीका और दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोग भी भारतीय बीमा समवायों में बीमा कराते हैं, परन्तु हमें पहले ही अपने कुछ पड़ोसी देशों में राज्य बैंक की शाखायें चलाने में कठिनाइयां हो रही हैं। केवल बैंक का नाम बदलने के कारण ही हमें पुनः अनुज्ञप्ति लेने को कहा जा रहा है और जब हम अनुज्ञप्ति के लिये आवेदनपत्र देते हैं तो हमें बहुत सी शाखाओं को बन्द करने के लिये कहा जाता है। यदि कोई सरकार अथवा राज्य किसी दूसरे देश में वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा वित्तीय कारबार करता है और यदि उस देश की विधि तथा विनियम उसके अनुकूल नहीं होते हैं तो उसकी हालत कुछ विचित्र सी हो जाती है और हमें विश्वास हो गया है कि यदि हम जीवन बीमा का सारा विदेशी व्यापार किसी सामान्य बीमा कार्य करने वाले भारतीय समवाय को सौंपने का प्रबन्ध कर दें तो अधिक अच्छा होगा। एक आयोग ने स्वीडन में राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की जांच की थी।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : वे क्या होंगे ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : वे मालिक होंगे।

†**श्री के० के० बसु** : क्या वह एक भारतीय समवाय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जी हां ।

†**श्री के० के० बसु** : कैसे ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : साधारणत: वहां एक भारतीय समवाय कार्य करेगा । अधिकतर कार्य एक समवाय द्वारा किया जाता है जो कि एक सामासिक समवाय होता है । उन्हें इसे प्राप्त करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये । आस्तियां और दायित्व निर्धारित किये जाने के पश्चात् हस्तान्तरण किया जा सकता है । हमने अभी स्थिति की जांच नहीं की है और किसी व्यापार को नहीं लिया है ।

स्वीडन में एक आयोग ने राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की जांच की थी और यह विचार व्यक्त किया था कि :

> "उस देश के बीमाकर्त्ता बीमाधारियों को एक सुनियोजित, यथार्थ और मितव्यतापूर्ण आवरण देने में समर्थ हुये हैं । इसकी व्यवस्था उस प्रबन्ध द्वारा की जाती है जो संगठन में एक व्यवसाय के सदृश है और प्रवृत्ति में जनहित की भावना से युक्त है ।"

इसी प्रकार नार्वे की समिति ने कहा :

> "नार्वे का जीवन बीमा उद्योग बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है और अन्य व्यापारों की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इसे बहुत उच्च स्थान प्राप्त है । इसके विस्तार से प्रतिस्पर्धा जनित बुराइयां उत्पन्न नहीं हुई हैं और जिस ढंग से पूंजी लगाई गई है उसकी भी निन्दा नहीं की जा सकती है ।"

डेनमार्क का सरकारी जीवन बीमा कारबार जो कि गैर सरकारी बीमाकर्ताओं के कुल व्यापार का एक तिहाई है, तेजी से प्रगति कर रहा है । इंगलैंड में सरकारी जीवन बीमा कारबार ने देशी और विदेशी निजी बीमाकर्ताओं के मुकाबले में द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया है । जापान में औद्योगिक बीमा कारबार सरकार द्वारा किया जाता है और श्रमिक वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने में इसे सफलता मिली है ।

अब मैं एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा के प्रश्न को लेता हूं जो कि पर्याप्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । श्री तुलसीदास ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सरकार केवल एकाधिकार के आधार पर ही कार्य कर सकती है और उन्होंने गैर-सरकारी उद्योग के मुकाबले में एक निगम स्थापित करने की चुनौती दी है । श्री वेंकटरामन् ने पहले ही बता दिया है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिये अत: यह चुनौती अर्थहीन है । इसका कारण स्पष्ट ही है, कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है यह प्रतिस्पर्धा उचित नहीं होगी । दूसरा पक्ष नियमों को पहले की तरह भंग करता रहेगा और सरकार विधि के उपबन्धों के अक्षरों का ही नहीं अपितु उनकी भावना का भी पालन करने को वाध्य रहेगी । उदाहरण के लिये, गैर-सरकारी बीमा समवायों को नकद अवहार देने में कोई संकोच नहीं होगा, इससे अधिकतर उनका व्यापर बढ़ेगा क्योंकि अवहार आय कर से मुक्त होगा । अत: इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का अर्थ यह होगा कि गैर सरकारी बीमा समवायों की बुराइयां बिना किसी बाधा के जारी रहेंगी और सरकार का उपहास किया जायेगा और इसी कारण हम ने एक सरकारी बीमा समवाय आरम्भ करने के अपने मूल विचार को त्याग दिया । कुछ सामान्य बीमा समवायों का जिनका हम प्रबन्ध कर रहे हैं, प्रशासन करते समय हमने अनुभव किया कि इन्हीं कारणों से हम गैर सरकारी बीमाकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं ।

नियन्त्रक की कथित ढिलाई के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । यहां तक कि कुछ ने बीमा नियन्त्रक के दोष गिनाने आरम्भ कर दिये । मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि जब तक कि उद्योग स्वयं अधिक अच्छे स्तर पर आने का प्रयत्न नहीं करता तब तक सरकार चाहे कितना भी नियन्त्रण क्यों

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

न करे उससे कोई लाभ न होगा । हमारा यह विश्वास नहीं है कि केवल विधान के द्वारा मनुष्यों को देवता बनाया जा सकता है । हम इस बात का सगर्व दावा कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस मामले की गहराई में जाये तो उसे पता चलेगा कि अधिनियम को लागू करने में बीमाधारियों के उत्साह और उनके प्रतिनिष्ठा को विशेष स्थान दिया गया है ।

हमारी समापन कार्यवाही और बीमा विभाग ने प्रबन्धकों को जो परिवर्तन करने के लिये मजबूर किया गया है इस बात का प्रमाण है । कठोर मामलों में हमने अधिक कड़ी कार्यवाही करने में भी संकोच नहीं किया है । १९५० में हमें जो शक्ति प्रदान की गई थी उसके अन्तर्गत हमने प्रशासक नियुक्त किये हैं । हमने इस शक्ति का उदारता से प्रयोग किया है और इस थोड़े से समय में ग्यारह से अधिक समवाय अधिकार में ले लिये गये हैं । बहुत से मामलों में प्रशासक इस विचार से नियुक्त किये गये हैं कि उन प्रबन्धकों के खिलाफ, जिन्होंने लालच में आकर लोगों का रुपया हड़प कर लिया है, दाण्डिक अभियोग चलाने में सुविधा हो ।

पर बीमा नियन्त्रक के अच्छे कामों को लोग जल्दी भूल गये हैं । उनके कारण दो तीन मास पहले कुछ हलचल मची थी । यहां मैं नाम बताने और नियन्त्रण द्वारा की गयी कार्यवाहियों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझता । कठिनाई यह है कि विधि कुछ इस प्रकार की है कि बीमाधारियों के हितों को हानि पहुंचाने से पहले कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । कोई भी न्यायालय किसी समवाय के समापन की याचिका को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसके दिवालिया होने में कोई सन्देह न हो और इसे प्रमाणित करने का भार सरकार पर रहता है ।

एक मामले में एक न्यायालय ने बीमा नियन्त्रक की याचिका को इस आधार पर रद्द कर दिया कि बिना मांगी गई पूंजी को भी आस्ति माना जाये । अधिनियम लेखे भेजने के लिये नौ मास का समय देता है । दिवालिया समवाय अपना लेखा भेजने और वास्तविक अवस्था बताने के लिये उत्सुक नहीं होते हैं, वे किसी की परवा नहीं करते । सरकार को किसी समवाय के दिवालिया होने का प्रमाण एकत्र करने में भी समय लगता है । और फिर कई प्रकार से विलम्ब किया जाता है और समवाय को समाप्त करने में दो वर्ष का समय बीत जाता है और तब तक कई बीमाधारी अपना रुपया खो चुके होते हैं ।

यह सुझाव दिया गया है कि यदि बीमाकर्ताओं को बैंकों में प्रतिभूतियां जमा करने के लिये कहा जाये तो गबन को रोका जा सकता है । वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्धक अपने पास प्रतिभूतियां रख सकते हैं । फिर भी उन्हें यह अधिकार देना पड़ेगा कि अपने पूंजी नियोजन में परिवर्तन करने के लिये समय समय पर वे उन्हें निकाल सकें । एक मामले में विभाग ने आग्रह किया था कि प्रतिभूतियां किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायें । अपने भाषण में मैंने उसका उल्लेख किया था परन्तु अन्त में यह ज्ञात हुआ कि बैंक के प्रमाणपत्र जाली थे । इस से पता चलता है कि चाहे कितना भी नियन्त्रण क्यों न किया जाये धोखे को नहीं रोका जा सकता, जसा कि श्री फीरोज गांधी नें कहा था । और धोखा देने की तरीकों की संख्या जो कौटिल्य के समय में ४२ थी अब कई गुणा बढ़ गई है । केवल यही किया जा सकता है कि धोखे का पता लगाया जाये और अपराधी को दण्ड दिया जाये । परन्तु इस से बीमाधारियों को विशेष सन्तोष नहीं होगा ।

जब तक कुप्रबन्ध अथवा सामान्य सिद्धान्तों की कोई प्रमाणिक संहिता के अभाव को एक अत्यन्त अल्प समुदाय तक सीमित न रखा जाये तब तक प्रत्येक समवाय में एक पदाधिकारी की नियुक्ति किये बिना समवायों पर प्रभावशाली नियन्त्रण सम्भव नहीं है । यदि हम ऐसा करते हैं तो आलोचक कहेंगे कि नियन्त्रण द्वारा उपक्रम का अन्त किया जा रहा है । बहुत से प्रबन्धक उपक्रमण शब्द का आश्रय लेते हैं ।

इसलिये मेरा विचार है कि उद्योग की असफलता का दायित्व स्वयं उद्योग पर है न कि बीमा नियन्त्रक पर ।

डाक जीवन बीमा कारबार की असफलता के बारे में भी कहा गया था। यह कहा गया था कि १९३७—१९५३ में भारत में डाक जीवन बीमा ने १६ प्रतिशत कारबार बढ़ाया जबकि भारत में गैर-सरकारी बीमा ने अपने कारबार में ३०० प्रतिशत की वृद्धि की। हमारा उत्तर यह है कि दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। गैर-सरकारी बीमा उद्योग ने कारबार बढ़ाने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जब कि डाक योजना ने उसी कारबार को सम्भाला जो अपने आप ही उसे मिल गया। एक प्रकार से यह सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई एक सुविधा है और इस से लाभ उठाना या न उठाना कर्मचारियों की इच्छा पर निर्भर है। यह भी याद रखा जाना चाहिये कि उन्हें भविष्य निधि, उपदान और सेवा-निवृत्ति वेतन निधि आदि अन्य सुविधायें भी दी हुई हैं। अभी कुछ ही समय पहले तक इस योजना के अन्तर्गत बीमा कराने का अधिकार-प्राप्त लोगों से अनुरोध करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता था; और अब भी ऐसा कोई आन्दोलन नहीं किया गया है। आपको स्मरण होगा कि एक ऐसा भी उपबन्ध है जिस के अनुसार जीवन-बीमा-पत्रों के प्रीमियम की किसी भी अदायगी को उसी के बराबर सीमा तक के भविष्य-निधि के अंशदान के बराबर माना जाता है।

इस विषय के सिद्धान्त से सम्बन्धित अधिकांश मुख्य-मुख्य बातों पर मैं विचार प्रकट कर चुका हूं। अब, मैं दूसरा प्रश्न लूंगा, बीमा-पत्रधारियों के हितों के संरक्षण का प्रश्न। यहां दिये गये तमाम सुझावों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन का हमें परीक्षण करना पड़ेगा, जैसे कि यह सुझाव कि बीमा-पत्रों के ठेकों में कोई भी कमी नहीं की जानी चाहिये। यदि किसी तरह ऐसा करना सम्भव हुआ, तो हम उन्हें कोई भी हानि नहीं होने देंगे; यद्यपि इस अवस्था में हम कोई वचन, आश्वासन या गारंटी नहीं दे सकते हैं।

यह सुझाव भी दिया गया था कि भी पुराने लेन-देनों की भी एक कड़ी जांच की जानी चाहिये। यह तो, वास्तव में, साधारण तौर पर भी की ही जायेगी, क्योंकि हमें इसका पता तो लगाना ही चाहिये कि हमें किस प्रकार आस्तियां मिल रही हैं।

हाल ही में की गई दरों की कटौती के अवैज्ञानिक रूप का भी कुछ उल्लेख किया गया था। असल में हम ने एक शीघ्र-निर्णय के रूप में यही सोचा था कि जीवन बीमा कम्पनियों के संसार में प्रचलित सब से अधिक सुभीते की दरों तक अन्य सभी दरों को घटा देना ही सर्वोत्तम होगा। मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि एक निगम के बन जाने पर दरों के इस प्रश्न पर, और साथ ही लाभांशों (बोनस) के जारी रखे जाने के इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर और भी अधिक विचार करना पड़ेगा। यह इसलिये कि लाभांश (बोनस) तो हर स्तर पर दिये जाते हैं; और फिर यह भी एक बहुत पेचीदा-सा प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप किसी भी बीमा-पत्रधारी को पहले से भी अधिक बुरी स्थिति में पड़ने से बचाने के लिये बीमा-पत्रधारियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाय।

निजी क्षेत्र में निधियों के विनियोजन के प्रश्न का भी कुछ निर्देश करना आवयश्क है। एक शिकायत की गई थी कि निजी क्षेत्र को यह आश्वासन दिये जाने पर भी कि उस क्षेत्र में पूंजी विनियोजन को जारी रखा जायेगा, अभी तक निजी क्षेत्र में केवल १६ प्रतिशत पूंजी लगाने की ही अनुमति दी गई है। हुआ यह है कि ३१ दिसम्बर, १९५४ तक संयुक्त पूंजी समवायों के अंशों और ऋण-पत्रों में विनियोजित जीवन-बीमा-निधियों का अनुपात १६ प्रतिशत से कम था; और संरक्षकों को ऐसे विनियोजनों में १६ प्रतिशत तक की पूंजी विनियोजित करने का परामर्श दिया गया था। इसलिये, उसमें कोई भी कमी नहीं हुई है।

लेकिन, मुख्य बात तो यह है कि यदि हमारी आशायें पूरी हुईं, तो हम इस व्यवसाय के कुल परिमाण में इतना शीघ्र विस्तार देखेंगे कि विनियोजन दोनों ही क्षेत्रों के लिये सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिये और साथ ही निजी क्षेत्र के लिये भी और अधिक सुलभ हो जायेंगे, और प्रति-शतताओं के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण अंकों में। इसीलिये, मैं इस आश्वासन को फिर से दोहराता हूं कि सरकार निजी क्षेत्र से पूंजी हटाकर उसे सार्वजनिक क्षेत्र में लगाने का कोई भी विचार नहीं कर रही

[श्री सी० डी० देशमुख]

है। लेकिन, यह हमारी दृढ़ इच्छा है कि निजी क्षेत्र में निधियों का व्ययन हमारी योजना के और देश के वास्तविक हितों के अनुसार ही किया जाये, किसी औद्योगिक या वित्तीय दल विशेष के हितों के अनुसार नहीं।

उसके बाद, कई शिकायतों आदि की बात थी। वह एक छोटी सी बात है। श्री वेकंटरामन् उन का उत्तर दे चुके हैं। प्रस्तुत किये गये आंकड़े वैधानिक कार्यवाहियों के ही आंकड़े हैं। लेकिन, मैंने जिन कुछ शिकायतों का उल्लेख किया उन में से कई इस बारे में की गई थीं कि उन पर उद्धृत धारा में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई थी।

अब, मैं संरक्षों, कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के प्रश्न को लूंगा। एक ऐसे संरक्षक का निर्देश किया गया था जिसने कि राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। मैंने इस विषय की थोड़ी छानबीन की है। एक संरक्षक ने १९४६ में ऐसा कुछ कहा था। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि कावस जी जहांगीर समिति का प्रतिवेदन निकलने और विधि के अधिनियमित होने के बाद और इस बीच में प्राप्त अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से उसने अपनी राय बदल दी है। संरक्षक बनने के पहले भी, वह इसकी प्रशंसा करता रहा है। इसलिये यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी भावनाओं और विचारों में पहले ही परिवर्तन हो चुका था।

अभिकर्ताओं के बारे में हमने यह कहा ही है कि हम इस बात का प्रयास करेंगे कि दायित्वहीन पदाधिकारी न रहने पायें। शेष के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अभी तक जो व्यक्ति इस कुछ कठिन कर्त्तव्य को उत्साह तथा सफलता के साथ निभाते रहे हैं, उनकी सेवाओं से वंचित होने का प्रयास करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्त में, कर्मचारियों के मामले पर निगम के बनने पर, उसी के द्वारा विचार किया जायेगा। अभी इस समय तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम सभी कर्मचारियों को ज्यों का त्यों रखेंगे। मैं इतना और कहना चाहूंगा कि इस विधान पर मुझे बधाई का जो सब से पहला तार मिला था वह कर्मचारियों की ओर से ही था और हमारी दृढ़ इच्छा है कि उनसे हमारे सम्बन्ध अच्छे ही रहें। इसीलिये, हम उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि उनके साथ उचित और यथोचित व्यवहार किया जाय और वे निर्जीव नौकरशाही का एक अंग ही बन कर न रह जायें।

इन शब्दों के साथ, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जीवन बीमा व्यवसाय जिसका राष्ट्रीयकरण होने वाला है, का जनहित में प्रबन्ध सम्भालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—(परिभाषायें)

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुज़फ्फरपुर—उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के क्लाज़ नवम्बर २ पर मैं अपना ५ नम्बर का संशोधन पेश करता हूं। मेरा संशोधन इस प्रकार है :

Page 2, *after* line 15, *add*:

"Provided that this will not include Co-operative Insurance Societies."

[पृष्ठ २, पंक्ति १५ के **बाद जोड़िये** :

"परन्तु कि इस में सहकारी बीमा समितियां सम्मिलित न होंगी"।]

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैंने इस बिल की सामान्य बहस के समय भी हाउस में यह निवेदन किया था कि राष्ट्रीयकरण से कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज़ को अलग कर देना चाहिये और उनके ऊपर इस विधेयक को लाग नहीं करना चाहिये। वित्त मंत्री महोदय ने उसके सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं कहा है। मैंने उनको उस समय यह भी बतलाया था कि प्राइवेट सैक्टर के लोगों में जो अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने और इस कारोबार को योग्यता के साथ न चलाने सम्बन्धी जो बुराइयां होती हैं और जिस कारण सरकार इस बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीकरण कर रही है, वे सब बुराइयां हमें इन कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज़ में नहीं मिलतीं।

जहां तक कम्पिटीशन, प्रतियोगिता का सवाल है, यह बात सही है कि यह कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज़ बहुत छोटे दायरे में काम करती रही हैं लेकिन उसका कारण भी हमारे अर्थ मंत्री महोदय जानते हैं। राज्य सरकारों को भय हो रहा था कि यह स्टेट इंश्योरेंस कम्पनी प्राइवेट सैक्टर के साथ प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकेंगी ग़लत नहीं है। क्योंकि हमारे अर्थ मंत्री इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जहां प्राइवेट सैक्टर के लोग कानूनों को तोड़ते हैं और उनको तोड़-मरोड़ कर अपना काम निकाल सकते हैं, वहां यह कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसारटीज़ इस तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकतीं और इसलिये साफ़ जाहिर था कि वे प्राइवेट सेक्टर वाली कम्पनियों का मुक़ाबला नहीं कर सकती हैं। इस बात को मानते हुये कि यद्यपि इन कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज़ ने बहुत सीमित क्षेत्र में काम किया है, ताहम उन्होंने जिस योग्यता से यहां पर अपना काम चलाया है, उसके लिये हम उनकी सराहना करते हैं। प्लानिंग कमिशन नें इस तथ्य को मान लिया है कि कोआपरेटिव सेक्टर के आधार पर चल कर देश की आय में वृद्धि होगी और देश समृद्धिशाली बनेगा। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो भी अच्छाइयां वे इस राष्ट्रीयकरण में देख रहे हैं, वे सब अच्छाइयां कोआपरेटिव सेक्टर में रहेंगी। इसके साथ ही साथ कोआपरेटिव इंश्योरेंश सोसाइटीज़ में एक और अच्छाई है जो कि राष्ट्रीयकरण में सुलभ नहीं होगी और वह अच्छाई यह है कि यह कोआपरेटिव इंश्योरेंस कम्पनियां आपस में सद्भावना का स्रोत पैदा करती हैं और वे एक दूसरे के सहयोग पर चलाई जाती हैं देश में जिस समाजवादी समाज की स्थापना करने का हमारा लक्ष्य है या उसका और कुछ नाम आप रक्खें, वह ध्येय ओर लक्ष्य अगर हम इस कोआपरेटिव के आधार पर काम करेंगे तो हम अवश्य उसको प्राप्त कर सकेंगे और इससे हमारे समाज की जड़ मज़बूत होगी और हम एक सुन्दर समाजवादी समाज की देश में स्थापना कर सकेंगे।

जहां तक कि इन पर नियंत्रण का सम्बन्ध है, मैं हाउस को बतलाना चाहता हूं और अर्थ-मंत्री भी जानते होंगे कि इन कोआपरेटिव इंश्योरेंस कम्पनियों के काम की देखभाल के लिये सरकारी अफ़सर मुक़र्रर होते हैं। सरकारी आडिटर्स उनके हिसाब किताब की जांच करते रहते हैं। सरकारी अफसर काम-काज को देखते रहते हैं इसके कारण उन सोसाइटियों को कभी ग़लत काम करने का मौक़ा नहीं मिलता और प्राइवेट सैक्टर में जो गड़बड़ी होने की आशंका रहती है, वह यहां नहीं रहती। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें और कोआपरेटिव इंश्योरेंस कम्पनियों को अपने रास्ते पर चलने दें और उनकी जहां तक हो सके सहायता करें और उनके सम्बन्ध में प्रचार करें। देहातों में यह कम्पनियां काम करने वाली हैं और देहात के लोगों का इन के ऊपर विश्वास होता है। इनके ज़ोर से काम करने से जनता की शक्ति बढ़ेगी और जनता में परस्पर सहयोग की भावना दृढ़वती होगी और उससे हमारा देश और समाज मज़बूत होगा और तरक्की करेगा। मैं चाहता हूं कि जो वर्तमान कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज़ हैं, उनको खत्म न करें बल्कि आगे की एक ऐसी योजना बनायें जिससे उनका और विकास हो और आगे चल कर सिर्फ कोआपरेटिव्स् ही कोआपरेटिव्स् रह जायं और राष्ट्रीयकरण की उनको आवश्यकता भी न पड़े।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या वह विधान सहकारी समितियों के व्यवसाय पर भी लागू होगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : जी, हां ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं इसका कारण जानना चाहता हूं । व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित बीमा-व्यवसाय में तो भ्रष्टाचार हो सकता है इसलिये उसका राष्ट्रीयकरण होना उचित है । पर, सहकारी समितियों का संचालन तो कुछ नियमों के अनुसार किया जाता है और उनका नियंत्रण भी सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जाता है । अतः उनके राष्ट्रीयकरण की क्या आवश्यकता है ? हम राष्ट्रीय-करण का समर्थन करते हैं, पर सहकारी समितियों पर उसे लागू नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि उनमें तो शुद्धीकरण की आवश्यकता ही नहीं है ।

†**श्री एम० सी० शाह** : हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते । वास्तव में, यदि देखा जाय तो विधेयक में इस संशोधन का कोई स्थान ही नहीं है । लेकिन, साथ ही माननीय सदस्य को यह भी जानना चाहिये कि समस्त जीवन बीमा व्यवसाय बीमा-पत्रधारियों का एक सहकारी प्रयास ही तो होता है । और, जब कि हम जीवन बीमा व्यवसाय के लिये एक एकाधिकारी आधार बनाना चाहते हैं, तब हम अन्य कम्पनियों को जीवन बीमा व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दे सकते ।

वास्तव में, बीमा अधिनियम के परिच्छेद ४ में दी गई परिभाषा के अनुसार ऐसे केवल १४ समवाय हैं, और वे बहुत छोटे समवाय हैं । हमने इन सभी सहकारी जीवन बीमा समितियों के व्यवसाय को अपने अधिकार में ले लिया है। इसलिये, जब कि हम समस्त जीवन बीमा व्यवसाय के लिये एक एकाधिकारी आधार बनाना चाहते हैं, तो हम एक और दूसरे प्रकार के समवायों में कोई विभेद किये जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं । बीमाकर्त्ता केवल एक ही प्रकार का होगा, और वह होगा सरकारी निगम । हमने मुख्य विधेयक में भी खण्ड २५ में यह व्यवस्था की है कि किसी भी अन्य बीमाकर्त्ता को जीवन बीमा व्यवसाय करने के लिये प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा । इस जीवन बीमा व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिये ही, हम किसी अन्य बीमाकर्त्ता को सहकारी समिति, या किसी भी अन्य को, हम व्यवसाय को करने की अनुमति नहीं दे सकते । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसे मान लेंगे कि इस व्यवसाय को इस निगम द्वारा देश के सर्वोत्तम हितों में ही चलाया जायेगा । इसीलिये, मुझे खेद है कि मैं इस संशो-धन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

नया खण्ड ४ क

†**श्री एम० सी० शाह** : हम एक नया खंड ४ क जोड़ने का प्रस्ताव करते हैं ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ ५ में,

पंक्ति ४० **के पश्चात्**,

---

†मूल अंग्रेजी में ।

ये शब्द **रखे जायें** :

"**4A. Refund of Deposits made under Insurance Act.**—The Central Government may, by order, direct that the whole or any part of the deposit appertaining to his controlled business made by an insurer under section 7, section 73 or section 98 of the Insurance Act, as the case may be shall be returned to the Custodian who has been appointed to take over the management of the controlled business of the insurer, and every such order shall have effect notwithstanding anything contained in the Insurance Act."

["**४ क. बीमा अधिनियम के अन्तर्गत किये गये निक्षेपों की वापसी**"—केन्द्रीय सरकार, एक आदेश के द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि बीमा अधिनियम की धारा ७, धारा ७३, या धारा ९८, जो भी उस पर लागू होती हो, के अन्तर्गत किसी बीमाकर्त्ता के नियंत्रित व्यवसाय के तद्विषयक निक्षेप को पूर्ण रूप से या उसके किसी एक भाग को, उस बीमाकर्त्ता के नियंत्रित व्यवसाय की प्रबन्ध व्यवस्था को अधिकार में लेने के लिये नियुक्त किये गये अभिरक्षक को वापिस कर दिया जायेगा और बीमा अधिनियम में किसी और बात के होते हुये भी, ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा ।"]

सरकार ने नया खंड इसलिये प्रस्तावित किया है कि जिससे कुछ छोटी-छोटी समवाय अपने दावों को चुकाने में समर्थ हो सकें । कुछ बीमा समवाय ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी अतिरिक्त या नक़द आस्तियां नही हैं, और भुगतान के लिये कुछ दावे उनके पास पड़े हुये भी हैं । यदि दावों को चुकाना है, तो उन्हें, बीमा अधिनयिम की धारा ७ के अन्तर्गत, जमा की गई निधियों पर ही निर्भर करना पड़ेगा । बीमा अधिनियम की धारा ७ के अनुसार, कोई भी बीमाकर्त्ता अधिनियम द्वारा अपेक्षित प्रकार से दो लाख रुपयों का निक्षेप किये बिना अपना व्यवसाय आरम्भ नहीं कर सकता है । इसीलिये, इन छोटे-छोटे बीमाकर्त्ताओं के भुगतान किये जाने वाले दावों को चुकाने के लिये ही, हमने संरक्षक को समूचे निक्षेप या उसके एक भाग जैसा भी आवश्यक हो पर अधिकार कर लेने की अनुमति देने की शक्ति ग्रहण की है । जिन मामलों में दावे निक्षेपों से अधिक के हों उनको अनुपाततः के आधार पर चुकाया जायेगा । इसीलिये, परिपक्व होने वाले बीमा-पत्रों के दावों की सुरक्षा के लिये ही हमने इस खंड को रखा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५ में,

पंक्ति ४० **के पश्चत्,**

ये शब्द **रखे जायें** :

"**4A. Refund of Deposits made under Insurance Act.**—The Central Government may, by order, direct that the whole or any part of the deposit appertaining to his controlled business made by an insurer under section 7, section 73 or section 98 of the Insurance Act, as the case may be shall be returned to the Custodian who has been appointed to take over the management of the controlled business of the insurer, and every such order shall have effect notwithstanding anything contained in the Insurance Act."

["**४ क. बीमा अधिनियम के अन्तर्गत किये गये निक्षेपों की वापसी**—केन्द्रीय सरकार एक आदेश के द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि बीमा अधिनियम की धारा ७, धारा ७३, या धारा ९८, जो भी उस पर लागू होती हो, के अन्तर्गत किसी बीमाकर्त्ता के नियंत्रित व्यवसाय के तद्विषयक निक्षेप को पूर्ण रूप से या उसके किसी एक भाग को, उस बीमाकर्त्ता के नियंत्रित

†मूल अंग्रेजी में ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

व्यवसाय कीप्रबन्ध व्यवस्था को अधिकार में लेने के लिये नियुक्त किये गये अभिरक्षक को वापिस कर दिया जायेगा और, बीमा अधिनियम में किसी और बात के होते हुये भी ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड ४ क विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड ४ क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५.—(अभिरक्षक की शक्तियां, आदि)

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६, पंक्ति ५ में,

"may exercise under" ["के अन्तर्गत प्रयोग कर सकता है"] शब्दों क पश्चात् ["Section 52BB" ["धारा ५२ खख"] **ये शब्द जोड़े जायें ।**

लोक-सभा को विदित है कि हमने बीमाकर्त्ताओं का धन हड़पने वालों की सम्पत्तियों को प्रशासकों द्वारा कुर्क कराये जा सकने के लिये बीमा अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तुत किया था । इसीलिये, हमने ५२ खरव को रखा है जिससे कि प्रशासक उनकी सम्पतियों को कुर्क करा सके और अपराधी के विरूद्ध १०६ के अन्तर्गत न्यायालय से आज्ञप्ति जारी करा सके । इसमें वह नहीं है । इसीलिये, हम संरक्षकों को भी ये शक्तियां देना चाहते हैं । वे वर्तमान और भावी अपराधियों की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते हैं । ये शक्तियां संरक्षकों को दी गई हैं । शायद नवम्बर में, बीमा अधिनियम के उस संशोधन को पुर:स्थापित करते समय हमने इस मामले पर पूरी तौर से चर्चा की थी । मुझे आशा है कि लोक-सभा बीमा-पत्रधारियों के हितों की सुरक्षा के लिये इससे सहमत होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह संशोधन भविष्य में किया जायेगा ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मुख्य बीमा अधिनियम में यह हैं; उसके द्वारा हमने प्रशासक को यह शक्ति प्रदान की है । इस ५२ खख के द्वारा हम संरक्षकों को भी इसके अन्तर्गत कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति ५ में "may exercise under" ["के अन्तर्गत प्रयोग कर सकता है"] शब्दों **के पश्चात्** "Section 52BB" ["धारा ५२ खरव"] **ये शब्द जोड़े जायें ।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

नया खंड ५क

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता---दक्षिण-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक नया खंड ५क जोड़ दिया जाये। मैं इस संशोधन द्वारा वर्तमान बीमा-कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं उनकी सेवा की सुरक्षा, उनके स्थानान्तरणों और वेतनों के सम्बन्ध में उनके लिये संरक्षण चाहता हूँ। बीमा-व्यवसाय में कर्मचारियों के स्थानान्तरण शायद ही कभी होते थे और जब होते थे तो उसके लिये उन्हें क्षति-पूर्ति दी जाती थी। इसीलिये, मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण होने पर भी उनको यह सुविधा प्राप्त होती रहे।

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा सामान्य चर्चा में वाद-विवाद का उत्तर दिये जाते समय माननीय सदस्य उपस्थित थे या नहीं। वह पहले ही कह चुके हैं कि हम कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम दायित्व-हीनों का भार भी नहीं उठायेंगे। एक अन्य वर्ग ऐसे निरीक्षकों का भी है जिन्हें इस शर्त पर परिश्रमिक दिया जाता है कि उन्हें कुछ निश्चित परिमाण में व्यवसाय करना ही पड़ेगा। यदि वे उतना व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, तो उसी के अनुसार उनकी उपलब्धियां कम हो जायेंगी। किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार उपलब्धियां निश्चित किये जाने की शर्त रहती है।

स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा केवल एक ही मामले में हुआ था, और वह उचित भी था। एक जीवन बीमा कम्पनी थी, जिसका मुख्य कार्यालय अजमेर में था और सामान्य बीमा व्यवसाय कलकत्ता में। उस जीवन बीमा कम्पनी के अजमेर के कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना पड़ा था। उन कर्मचारियों ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है और वे अजमेर लौट भी गये हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। पर, मान लीजिये कि कोई अनुशासनिक कार्यवाही या ऐसी ही कोई और कार्य-वाही की जानी अपेक्षित हो तो निश्चय ही संरक्षकों को आवश्यक कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। फिर भी, हम कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन करना या उनकी कोई छंटनी करना नहीं चाहते हैं। हम उनको स्थानान्तरित भी नहीं करना चाहते हैं। इसीलिये, मैं समझता हूँ कि इस आश्वासन से माननीय सदस्य को सतुष्टि हो जायेगी और वह अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खंण्ड ६---(प्रबन्ध के लिये प्रतिकर आदि)

†**श्री साधन गुप्त** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

(१) पृष्ठ ६, संख्या १०,

"बारहवां" के स्थान पर "एक सौ बानवे" भाग रखा जाये।

(२) पृष्ठ ६, पंक्ति २०,

"एक रुपया" के स्थान पर "एक आना" रखा जाये।

ये संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित हैं। यह प्रतिकर सम्बन्धी प्रश्न हैं। मेरा विचार है कि प्रतिकर की दर बहुत अधिक है। इसके लिये दो मापदण्ड स्वीकृत किये गये हैं। प्रथम, समवाय को प्रतिकर के रूप में सम्पूर्ण अतिरिक्त पूंजी का बारहवां भाग अथक पिछले दो जीवनांकिक अर्हा का वार्षिक औसत दिया जायेगा। जहां अतिरिक्त पूंजी का अंश निर्धारित नहीं किया गया है उस स्थिति में प्रतिकर प्रत्येक २,००० रुपयों अथवा उसके भाग पर १ रुपया प्रति माह की दर से प्रतिकर दिया जायेगा। २,००० रुपये अथवा इस रकम का कोई भाग बीमा-पत्रधारी के १९५४ के नियंत्रित व्यापार की प्रीमियम आय से सम्बन्धित है। इस प्रकार का अत्यधिक लाभांश देने का कोई कारण नहीं है। हर महीने प्राप्त पूंजी का

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री साधन गुप्त]

साढ़े सात प्रतिशत प्रतिकर के रूप में देने के पक्ष में कोई तर्क नहीं है इसी प्रकार यदि आप बीमा करायी गयी प्रति २,००० रुपये की रकम पर १ रुपया प्रति महीना दें तो भी अधिक है। इन उद्योगों के प्रधिकारियों ने उचित और अनुचित तरीकों से पर्याप्त लाभ कमाया है और केवल प्रबंध बनाये रखने के लिये इतने अथिक प्रतिकर देने का कोई आधार नहीं है। अतः संविधान की आवश्यकतापूर्ति के लिये थोड़ा सा प्रतिकर देना ही पर्याप्त होगा।

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। प्रतिकर अधिक नहीं है। दो प्रकार की समवाय हैं—एक अतिरिक्त पूंजी वाली और दूसरी वे जिनके पास अतिरिक्त नहीं है। अतिरिक्त के विषय में, बीमा अधिनियम की धारा ७ (१) के अधीन एक उपबंध है कि अतिरिक्त राशि में से ७½ प्रतिशत तक अशंधारियों को मिल सकती है। और मुख्य विधेयक में हमने केवल ५ प्रतिशत का उपबंध रखा है। जिन समवायों ने अतिरिक्त राशि में ये ३ प्रतिशत से कम वितरित किया है हमने इसे ३ प्रतिशत मान लिया है। यहाँ भी प्रतिकर के उपबंध की आवश्यकता है। अंशधारियों को उतना मिलना ही चाहिए जितना सरकार द्वारा समवायों का प्रबंध न लेने की अवस्था में मिलता। यह बहुत बड़ी रकम नहीं है और न यह अधिक समय तक चलेगी क्योंकि निकट भविष्य में हमारा विचार सम्पूर्ण व्यापार को लेने के लिये निगम की स्थापना करना है। ऐसा जून अथवा उसके आस-पास तक किया जायेगा। यदि हम उचित प्रतिकर नहीं देते हैं तो हम पर न्यायोचित न होने का आरोप लगाया जायेगा। हमने उन्हें प्रतिकर देने के लिये केवल उपबंध बनाया है। यह उपबंध २,००० रुपये के प्रीमियम पर, —२,००० रुपये की बीमाशुदा रकम पर नहीं, एक रुपया प्रति महीना प्रतिकर के लिये है। अतः मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे। न यह चिन्तनीय है और न उदार ही है। कहा जा सकता है कि हम दकियानूसी हैं। हमें कुछ प्रतिकर देना पड़ेगा और गणना करने पर यह प्रतिकर बहुत अधिक नहीं है। आशा है सभा वर्तमान प्रस्ताव से सहमत होगी।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूँ। सरकार जून के आस-पास निगम आरम्भ करने का विचार रखती है। तब क्या मैं यह मान लूं कि तत्सम्बन्धी निर्देश प्रस्ताव आय-व्ययक पर चर्चा पूरी होने के पहले ही पारित कर दिया जायेगा अथवा उसे स्थगित कर दिया जायेगा।

†**श्री एम० सी० शाह** : संसद्-कार्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि १९ और २० मार्च का समय प्रस्तुत विधेयक के लिये निर्धारित किया जायेगा। यह आश्वासन मूर्तरूप धारण करेगा। यह संयुक्त समिति नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ने इसे अनुच्छेद ११७ के अधीन प्रमाणित किया है। अतः यह वित्त विधेयक बन गया है और नियमों के अन्तर्गत यह इस सभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया जायेगा और हमारा विचार है कि प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव २० मार्च तक समाप्त हो जायेगा। मैंने संसद्-कार्य मंत्री से यह भी प्रार्थना की है कि वह उन सदस्यों का चुनाव कर लें जो सत्र के दौरान अधिक समय तक बैठने के इच्छुक हों। हम आशा करते हैं कि १६ अप्रैल अथवा अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायगा एवं सत्र के अंत तक यह अधिनियम के रूप में पारित कर दिया जायेगा। यदि यह विधेयक अनुसूची के अनुसार लिया गया तो हमारा विचार है कि १५ जून तक निगम बन जायेगा। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह अनुसूची के अनुसार लिया जायेगा। मुझे मालूम है कि सभी विधेयक को इसी सत्र में पारित करने के लिये बहुत उत्सुक और यदि आवश्यकता हुई तो वह अधिक देर तक बैठना पसन्द करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ७, ८ और ९ में कोई संशोधन नहीं हैं । एक नया खण्ड ९ क रखने के लिये एक संशोधन संख्या ११ है ।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं अपने संशोधन संख्या ११ और १२ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो फिर मैं खण्ड १३ तक के समस्त खण्ड मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ से १३ तक विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ से १३ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

नया खण्ड १३ क

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ ७,

पंक्ति ३५ के पश्चात् ये शब्द रखे जायें :

"13 A. Prevention of Disqualification for membership of Parliament— It is hereby declared that no person who holds any office of profit under an insurer the management of whose controlled business has vested in the central Government under this Act shall be disqualified, or ever to have been disqualified, for being chosen as, or for being, a member of either House of Parliament."

["१३ क. संसद् की सदस्यता के लिये अनर्हता निवारण—इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसे बीमापत्रधारी के अधीन जिसके नियंत्रित व्यापर का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में नियोजित है, कोई व्यक्ति लाभ पद पर आसीन है वह वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत, संसद् की किसी सभा के सदस्य होने, अथवा चुने जाने के लिये, अनर्ह नहीं होगा, न कभी अनर्ह माना जायेगा ।"]

इस संशोधन का कारण पहले ही स्पष्ट कर दिया गयाहै । जैसा वित्त मंत्री ने कहा था, प्रसारण १९ तारीख की रात्रि को साढ़े आठ बजे किया जा कर अध्यादेश जारी किया गया था । इस सम्बन्ध में किसी को भी ज्ञात नहीं होगा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है । अतः संसद् के किसी सदस्य को इस पर विचार करने और त्यागपत्र देने का समय नहीं था । इसीलिये यह खंड समाविष्ट करने का प्रस्ताव किया गया है । मुख्य विधेयक में इस प्रकार के खंड की समाविष्टि के बारे में उस समय विचार किया जायेगा और जैसा कि वित्त मंत्री ने सभा को पहले ही आश्वसान दिलाया है, सभा की इच्छा का समादर किया जायेगा ।

†**श्री वेंकटरामन्** : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुख्य विधेयक का सम्बन्ध है यह सभा उक्त खंड के प्रति वचन बद्ध नहीं है ।

†**श्री एम० सी० शाह** : उसम ऐसा कोई खण्ड नहीं है ।

†**श्री वेंकटरामन्** : मैं जानता हूँ । लेकिन बाद में कहीं हमसे यह न कह दिया जाये कि हमने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है अतः हमें अपने पूण निर्णय के आधार पर उसी भांति मतदान के लिये राजी किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री वेंकटरामन्]

यह सच है कि यह खण्ड संसद् सदस्यों को अनर्हता से मुक्त कर देगी किन्तु राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों का क्या होगा। उनकी अनर्हता भी दूर करना है। मैं संविधान---अनुच्छेद १९१ (१) से सम्बन्धित उपबन्ध पढ़ूंगा :

"कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य के होने के लिये अनर्ह होगा ---

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुये हैं।"

यह एक विसंगति है कि एक व्यक्ति संसद् का सदस्य हो सकता है किन्तु राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता।

†**श्री एस० एस० मोरे** : अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त लाभ पद समिति का मैं सदस्य था। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और जब तक सरकार द्वारा समिति के प्रस्तावों और सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय नहीं किया जाता इस तरह की संविधि के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जाना चाहिये। वर्तमान आपात के लिये एक अल्पकालीन उपबंध की व्यवस्था की जा सकती है। मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि स्थायी प्रवृत्ति का विधेयक प्रस्तुत किये जाने के पहले लाभ पद सम्बन्धी समिति के विभिन्न प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रियां स्पष्ट हो जाना चाहिये अन्यथा प्रयोग रूप में किसी भी बात को रखने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं माननीय विधि कार्य मंत्री से, जो सौभाग्य से यहां उपस्थित हैं, प्रार्थना करूंगा कि यह लाभ-पद सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करें।

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : श्री मोरे ने जो प्रश्न उठाया है उस सम्बन्ध में मैं कह दूं कि पिछले सत्र में ही अनर्हता कल करने वाले अधिनियम की आयु हमने पिछले सत्र में ही बढ़ाई है। इसी बीच सभा द्वारा नियुक्त लाभ पद सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। हम इन सिफारिशों का परीक्षण कर रहे हैं तथा राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है। मेरा विचार है कि इस वर्ष की समाप्ति के पहले ही हम सभा के समक्ष विधेयक प्रस्तुत कर सकेंगे। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है वित्त मंत्री द्वारा इसकी व्याख्या कर दी गई है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : यदि निर्वाचन १९५७ में किये जाने हैं तो यह सब समस्याएँ सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्णित कर दी जाना चाहिये ताकि उम्मीदवार और उनके समर्थक यतार्थ अवस्था से सही-सही अवगत हो सकें।

†**श्री पाटस्कर** : जैसा मैंने कहा समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकारों के परामर्श की आवश्यकता है और आगामी निर्वाचन के सम्बन्ध में तिथि घोषित न करते हुये—क्योंकि इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है—मैं कह सकता हूँ कि इस वर्ष की समाप्ति के पहले ही विधेयक प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इसका एक कारण यह भी है कि अधिनियम की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह कि :

पृष्ठ ७,—पंक्ति ३५ के **पश्चात् रखये** :

---

†मूल अंग्रेजी में।

"13 A. Prevention of Disqualification for membership of Parliament— It is hereby declared that no person who holds any office of profit under an insurer the management of whose controlled business has vested in the Central Government under this Act shall be disqualified, or ever to have been disqualified, for being chosen as, or for being a member of either House of Parliament."

["१३ क––संसद् की सदस्यता के लिये अनर्हता निवारण––इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसे बीमापत्रधारी के अधीन जिसके नियंत्रित व्यापार का प्रबंध केन्द्रीय सरकार में नियोजित है, कोई व्यक्ति लाभ पद पर आसीन है वह वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत, संसद् की किसी सभा के सदस्य होने, अथवा, चुने जाने के लिये, अनर्ह नहीं होगा, न कभी अनर्ह माना जायेगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड १३क विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड १३क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १४ से १६ तक खण्ड १, अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री एम० सी० शाह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जिन माननीय सदस्यों को पहले अवसर नहीं मिला अब बोल सकते हैं ।

श्री अच्युतन (क्रगनूर) : वित्त मंत्री ने विधेयक की अविलम्बनीयता, सरकार द्वारा पिछले तीन चार वर्षों से अपनाई जाने वाली नीति, उनकी निजी सम्पत्ति और विधेयक को पुर:स्थापित करने में उत्पन्न कठिनाइयों की व्याख्या कर दी थी । उन्होंने यह भी बताया कि सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण वर्तमान में इतना आवश्यक नहीं है । इस क्षेत्र में ५० करोड़ रुपये से भी कम पूंजी है ।

मेरी एक इच्छा है कि बीमा व्यवसाय सम्पूर्ण देश में प्रसारित किया जा सके । सरकार बिना किसी लाभ के उद्देश्य से इसका कार्य करेगी तो फिर यह सुविधाएं सम्पूर्ण देश को उपलब्ध होना चाहिये ।

मैं यह नहीं समझ सका कि श्री अशोक मेहता ने यह प्रश्न क्यों उठाया कि राष्ट्रीयकरण के लिये अध्यादेश का माध्यम नहीं अपनाया जाना चाहिये था । कदाचित् श्री मेहता किन्हीं बड़े व्यक्तियों की चाटुकारी करना चाहते थे क्योंकि निर्वाचन आ रहे हैं । अन्यथा जब सिद्धान्त रूप में राष्ट्रीयकरण मान लिया गया है तो इस प्रश्न को उठाने की क्या आवश्यकता थी ।

छोटी रकमों वाले बीमों की आवश्यकता है । एजेंटो के मार्फत बीमा कराने की उपेक्षा लोग बीमों की विशेषताओं से प्रभावित होकर स्वयं ही बीमा करायें । अनुचित ढंग समाप्त कर दिये जाने चाहिये । मुझे आशा है कि वर्तमान में जो ३५० करोड़ रुपये की पूंजी इस क्षेत्र में है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक कई हजारों करोड़ रुपयों तक पहुंच जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** (बेल्लारी) : मैं व्यवस्था और उसे प्रस्तुत करने के ढंग का स्वागत करता हूँ। सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजान की क्रियान्विति के लिये रुपया मिलेगा और बीमा व्यवसाय देहाती क्षेत्रों तक पहुंच सकेगा। इसके अतिरिक्त व्यवसाय स्तर भी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। वित्त मंत्री का यह आश्वासन स्वागतयोग्य है कि कर्मचारियों का ध्यान रखा जायेगा। कार्यकुशलता के अतिरिक्त व्यक्तियों के रोजगार की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** (तामलुक) : हम मानीय वित्त मंत्री के आभारी हैं। आशा है कि इस व्यवसाय के कार्य संचालन के लिये प्रशिक्षण एवं व्यवस्था का प्रबंध किया जायेगा। यह देश के लिये एक आदर्श कार्य करेगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : हमें अत्यन्त उत्साह और प्रेरणा की अनुमति हुई है। हमने किसी पर आदेश नहीं चलाया है। हम सार्वभौम न होकर केवल सामन्त ही बने रहना चाहते हैं। जब व्यवसाय ही राष्ट्रीयकरण सम्पन्न हो जायेगा तो हम श्री अच्युतन को ऐसी पालिसी बेचेगें जिसके व्ययगत होने का भय नहीं रहेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ५ मार्च, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई]

---

†मूल अंग्रेजी में।

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ६३७–३८

उपाध्यक्ष महोदय ने बम्बई और भारत के अन्य नगरों में आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का कथित भेद खुलने के सम्बन्ध में श्री ए० के० गोपालन, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और डा० लंका सुन्दरम् द्वारा पूर्व सूचित स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... ६३९

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (भाग 'क' राज्य) नियम

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों सम्बन्धी विधेयक ... ६३९

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) ने वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित ६३९–७८

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक पर और आगे विचार किया गया और विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।

सोमवार, ५ मार्च, १९५६ के लिये कार्यावलि—

रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

P.L.S. 31. I. 15. 56
190

भारत सरकार मुद्रणालय, फ़रीदाबाद में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (चौथा संस्करण) के नियम ३९२ तथा ३९५ के अन्तर्गत प्रकाशित ।

१९५८